

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

संख्या- 73233 /दस-लाइसेंस-57/बोतल भराई नियमावली/2018-19

दिनांक 31 मार्च, 2018

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 1904) की धारा-21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या-4 सन् 1910) की धारा-41 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, आबकारी आयुक्त, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश विदेशी मदिरा को बोतलों में भरने की नियमावली, 1969 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश विदेशी मदिरा को बोतलों में भरने की (उन्नीसवां संशोधन) नियमावली, 2018

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1-	(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश विदेशी मदिरा को बोतलों में भरने की (उन्नीसवां संशोधन) नियमावली, 2018 कही जायेगी। (2) यह दिनांक 01-04-2018 से प्रवृत्त होगी।
----------------------------------	----	---

नियम-2 का संशोधन 2- उत्तर प्रदेश विदेशी मदिरा को बोतलों में भरने की नियमावली, 1969 में, जिसे आग उक्त नियमावली कहा गया है, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम-2 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
<p>2(1) (क) कलेक्टर द्वारा आबकारी आयुक्त की पूर्व स्वीकृति से प्रपत्र वि0म0-3 में-</p> <p>(एक) आसवक (डिस्टिलर) को स्पिट की बोतल भराई, (दो) यवासवक (ब्रुअर) को बियर की बोतल भराई, और (तीन) द्राक्षासवक (विन्टनर) को वाइन, की बोतल भराई के लिए दिया जा सकता है।</p> <p>(ख) प्रपत्र वि0म0-3 में लाइसेंसधारक, बोतल में भरने के अपने विशेषाधिकार को पूर्णतः या उसके किसी अंश को-</p> <p>(एक) उत्तर प्रदेश राज्य के दूसरे आसवक, यवासवक या द्राक्षासवक (दो) भारत में दूसरे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी आसवक, यवासवक या द्राक्षासवक</p> <p>(तीन) भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर के किसी आसवक, यवासवक या द्राक्षासवक को भारत में उसके पूर्ण स्वामित्वाधीन समनुषंगी इकाई।</p> <p>प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई समनुदेशिती इस रूप में किसी अधिकार का तब तक प्रयोग नहीं करेगा जबतक कि वि0म0-3क लाइसेंस के धारक द्वारा दिये गये आवेदन पत्र पर आबकारी आयुक्त द्वारा उसे प्रपत्र वि0म0-3-क में लाइसेंस स्वीकृत न कर दिया गया हो।</p> <p>(ग) किसी आसवक, यवासवक तथा द्राक्षासवक को बोतल में भरने हेतु प्रपत्र वि0म0-3-क में बाटलिंग लाइसेंस आबकारी</p>	<p>2(1) (क) कलेक्टर द्वारा आबकारी आयुक्त की पूर्व स्वीकृति से प्रपत्र वि0म0-3 में-</p> <p>(एक) आसवक (डिस्टिलर) को स्पिट की बोतल भराई, (दो) यवासवक (ब्रुअर) को बियर की बोतल भराई, और (तीन) द्राक्षासवक (विन्टनर) को वाइन, की बोतल भराई के लिए लाइसेंस दिया जा सकता है।</p> <p>(ख) प्रपत्र वि0म0-3 में लाइसेंसधारक, बोतल में भरने के अपने विशेषाधिकार को पूर्णतः या उसके किसी अंश को-</p> <p>(एक) उत्तर प्रदेश राज्य के दूसरे आसवक, यवासवक या द्राक्षासवक (दो) भारत में दूसरे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी आसवक, यवासवक या द्राक्षासवक</p> <p>(तीन) भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर के किसी आसवक, यवासवक या द्राक्षासवक को भारत में उसके पूर्ण स्वामित्वाधीन समनुषंगी इकाई को समनुदेशित कर सकता है।</p> <p>परन्तु यह कि ऐसा कोई समनुदेशिती इस रूप में किसी अधिकार का तब तक प्रयोग नहीं करेगा जबतक कि वि0म0-3क लाइसेंस के धारक द्वारा दिये गये आवेदन पत्र पर आबकारी आयुक्त द्वारा उसे प्रपत्र वि0म0-3-क में लाइसेंस स्वीकृत न कर दिया गया हो।</p> <p>(ग) किसी आसवक, यवासवक तथा द्राक्षासवक को बोतल में भरने हेतु प्रपत्र वि0म0-3-क में बाटलिंग लाइसेंस आबकारी आयुक्त द्वारा</p>

आयुक्त द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिया जा सकता है-

(एक) कोई आसवक, यवासवक या द्राक्षासवक उसके द्वारा बोतल में भरी गई स्पिरिट के लेबिलों पर आबकारी आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त अपना ब्राण्ड नाम लिखने का हकदार होगा।

(दो) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त की विशेष अनुज्ञा के अधीन और उसके अनुसार, के सिवाय रंगना, समिश्रण करण (ब्लेडिंग), सुवासित करना या तीव्रतावरोह करना निषिद्ध होगा।

(2) न्यूनतम रूपये 2,00,000 (रूपये दो लाख) के अधीन रहते हुये, किसी आसवक या द्राक्षासवक की स्थित में बाटलिंग फीस निम्नलिखित दर पर या समय-समय पर राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित दरों पर उद्गृहीत किया जायेगा।

(क) स्पिरिट या वाइन

बाटलिंग शुल्क रूपये में

	धारिता	एफ0एल0-3 के लिये (प्रति बोतल)	एफ0एल0-3ए के लिये (प्रति बोतल)
(एक)	2000 मि0ली0	2.60	3.40
(दो)	1000 मि0ली0	1.30	1.70
(तीन)	700 व 750 मि0ली0	1.00	1.35
(चार)	500 मि0ली0	0.70	1.00
(पांच)	375 मि0ली0	0.60	0.80
(छः)	180 मि0ली0	0.40	0.50
(सात)	100 मि0ली0	0.25	0.30
(आठ)	90 मि0ली0	0.25	0.30
(नौ)	60 मि0ली0	0.15	0.20

(ख) कम तीव्रता के मादक पेय-

बाटलिंग शुल्क रूपये में

	धारिता	एफ0एल0-3 के लिये (प्रति बोतल)	एफ0एल0-3ए के लिये (प्रति बोतल)
(एक)	1000 मि0ली0	0.15	0.25
(दो)	650 मि0ली0	0.08	0.15
(तीन)	500 मि0ली0	0.07	0.10
(चार)	325 व 330 मि0ली0	0.05	0.07
(पांच)	275 मि0ली0	0.04	0.05
(छः)	275 मि0ली0 से कम	0.03	0.04

निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिया जा सकता है-

(एक) कोई आसवक, यवासवक या द्राक्षासवक उसके द्वारा बोतल में भरी गई स्पिरिट के लेबिलों पर आबकारी आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त अपना ब्राण्ड नाम लिखने का हकदार होगा।

(दो) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त की विशेष अनुज्ञा के अधीन और उसके अनुसार, के सिवाय रंगना, समिश्रण करण (ब्लेडिंग), सुवासित करना या तीव्रतावरोह करना निषिद्ध होगा।

(2) न्यूनतम रूपये 2,00,000 (रूपये दो लाख) के अधीन रहते हुये, किसी आसवक या द्राक्षासवक की स्थित में स्पिरिट या वाइन या कम तीव्रता के मादक पेयों पर बाटलिंग फीस निम्नलिखित दर पर या समय-समय पर राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित दरों पर उद्गृहीत किया जायेगा।

(क) स्पिरिट या वाइन

बाटलिंग शुल्क रूपये में

	धारिता	एफ0एल0-3 के लिये (प्रति बोतल)	एफ0एल0-3ए के लिये (प्रति बोतल)
(एक)	2000 मि0ली0	3.14	4.11
(दो)	1000 मि0ली0	1.57	2.05
(तीन)	700 व 750 मि0ली0	1.21	1.63
(चार)	500 मि0ली0	0.85	1.21
(पांच)	375 मि0ली0	0.72	0.97
(छः)	180 मि0ली0	0.48	0.60
(सात)	100 मि0ली0	0.30	0.36
(आठ)	90 मि0ली0	0.30	0.36
(नौ)	60 मि0ली0	0.18	0.24

(ख) कम तीव्रता के मादक पेय-

बाटलिंग शुल्क रूपये में

	धारिता	एफ0एल0-3 के लिये (प्रति बोतल)	एफ0एल0-3ए के लिये (प्रति बोतल)
(एक)	1000 मि0ली0	0.18	0.30
(दो)	650 मि0ली0	0.10	0.18
(तीन)	500 मि0ली0	0.08	0.12
(चार)	325 व 330 मि0ली0	0.06	0.08
(पांच)	275 मि0ली0	0.05	0.06
(छः)	275 मि0ली0 से कम	0.04	0.05

(3) न्यूनतम रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख) के अधीन रहते हुये किसी यवासवक की स्थिति में बाटलिंग फीस निम्नलिखित दर पर या समय-समय पर राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा यथानिर्धारित दर पर उद्गृहीत किया जायेगा:-

बियर			
बाटलिंग शुल्क रूपये में			
	धारिता	एफ0एल0-3 के लिये (प्रति बोतल)	एफ0एल0-3ए के लिये (प्रति बोतल)
(एक)	ड्राट बीयर प्रति ड्रम (50 लीटर धारिता)	25.00	30.00
(दो)	650 मि0ली0 बोतल	0.55	0.65
(तीन)	500 मि0ली0 बोतल	0.45	0.50
(चार)	350 मि0ली0 या उससे कम मात्रा की बोतल	0.30	0.40

(4) देश के बाहर निर्यात किये जाने के लिये विभिन्न विदेशी मदिरा जिसके अन्तर्गत वाइन भी है, पर बोतल में भरने का देय शुल्क पहले ही वसूल कर लिया जायेगा। तत्पश्चात् यह सबूत पेश करने पर कि उतनी मात्रा में उपर्युक्त विदेशी मदिरा वास्तव में देश के बाहर निर्यात कर दी गयी है, लाइसेंसधारी को शुल्क की वह धनराशि, जो इससे पहले ली जा चुकी हो, लौटा दी जायेगी।

(3) न्यूनतम रूपये 2,00,000/- (रूपये दो लाख) के अधीन रहते हुये किसी यवासवक की स्थिति में बाटलिंग फीस निम्नलिखित दर पर या समय-समय पर राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा यथानिर्धारित दर पर उद्गृहीत किया जायेगा:-

बियर			
बाटलिंग शुल्क रूपये में			
	धारिता	एफ0एल0-3 के लिये (प्रति बोतल)	एफ0एल0-3ए के लिये (प्रति बोतल)
(एक)	ड्राट बीयर प्रति ड्रम (50 लीटर धारिता)	30.19	36.23
(दो)	650 मि0ली0 बोतल	0.66	0.78
(तीन)	500 मि0ली0 बोतल	0.54	0.60
(चार)	350 मि0ली0 या उससे कम मात्रा की बोतल	0.36	0.48

(4) देश के बाहर निर्यात किये जाने हेतु तात्पर्यित विभिन्न विदेशी मदिरा जिसके अन्तर्गत वाइन, बियर एवं एल0ए0बी0 भी है, पर बोतल में भरने का देय शुल्क पहले ही वसूल कर लिया जायेगा। तत्पश्चात् यह सबूत पेश करने पर कि उतनी मात्रा में उपर्युक्त विदेशी मदिरा वास्तव में देश के बाहर निर्यात कर दी गयी है, लाइसेंसधारी को शुल्क की वह धनराशि, जो इससे पहले ली जा चुकी हो, लौटा दी जायेगी।

नियम-3 का संशोधन

3- उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-3 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
विद्यमान नियम	यथावत
<p>3(1) नियम-2 के अधीन लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र देने वाला व्यक्ति अपने आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित विवरण आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश को प्रस्तुत करेगा, अर्थात,</p> <p>(क) स्थान जहाँ पर और भू-गृहादि जिसमें बोतलों में भराई की जायेगी, तथा</p> <p>(ख) सप्ताह या मास में लगभग कितने दिन बोतलों में भराई की जायेगी।</p> <p>वह भू-गृहादि का एक विस्तृत नक्शा भी देगा जिसमें विभिन्न कक्ष या उप कक्ष तथा सभी स्थायी फिक्सचर्स दिखाये गये हों। यदि कर देय विहीन (नान बाण्डेड) भू-गृहादि में बोतलों में भराई की जानी हो तो यह नक्शा दो प्रतियों में दिया जायेगा और यदि कर देय भू-गृहादि में बोतलों में भराई की जानी हो तो यह</p>	<p>3(1) नियम-2 के अधीन बोतल में भरने हेतु लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र देने वाला व्यक्ति अपने आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित विवरण आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश को प्रस्तुत करेगा, जिसे निर्धारित पोर्टल पर भी अपलोड करेगा:-</p> <p>(क) स्थान जहाँ पर और भू-गृहादि जिसमें बोतलों में भराई की जायेगी, को अक्षांश एवं देशान्तर दर्शाते हुए जिओटैगिंग करेगा।</p> <p>(ख) सप्ताह या मास में लगभग कितने दिन बोतलों में भराई की जायेगी;</p> <p>वह भू-गृहादि का एक विस्तृत नक्शा भी देगा जिसमें विभिन्न कक्ष या उप कक्ष तथा सभी स्थायी फिक्सचर्स दिखाये गये हों। यदि कर देय विहीन (नान बाण्डेड) भू-गृहादि में बोतलों में भराई की जानी हो तो यह नक्शा दो प्रतियों में दिया जायेगा और यदि कर देय भू-गृहादि में बोतलों में भराई की जानी हो तो यह नक्शा तीन</p>

<p>नक्शा तीन प्रतियों में दिया जायेगा।</p> <p>(2) यदि जॉच के पश्चात आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश का यह समाधान हो जाये कि आवेदक अपेक्षित लाइसेंस प्राप्त करने योग्य है तथा जिस भू-गृहादि में वह बोटलों में भराई कार्य करना चाहता है वह उपयुक्त है तो वह ऐसे व्यक्ति को लाइसेंस दे सकते हैं। प्रत्येक ऐसा लाइसेंस धारी 1,00,000 (एक लाख) रुपये की सावधि जमा रसीद जो आबकारी आयुक्त के पद नाम से प्रतिश्रुत हो, प्रतिभूति के रूप में लाइसेंस लेने के पूर्व जमा करेगा। लाइसेंसधारी को उन पर मिलने वाला ब्याज, जब वह देय हो जाय, लेने की अनुज्ञा दी जायेगी।</p>	<p>प्रतियों में दिया जायेगा।</p> <p>(2) यदि जॉच के पश्चात आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश का यह समाधान हो जाये कि आवेदक अपेक्षित लाइसेंस प्राप्त करने योग्य है तथा जिस भू-गृहादि में वह बोटलों में भराई कार्य करना चाहता है वह उपयुक्त है तो वह ऐसे व्यक्ति को लाइसेंस दे सकते हैं। प्रत्येक ऐसा लाइसेंस धारी 1,00,000 (एक लाख) रुपये की सावधि जमा रसीद जो आबकारी आयुक्त के पद नाम से प्रतिश्रुत हो, प्रतिभूति के रूप में लाइसेंस लेने के पूर्व जमा करेगा। लाइसेंसधारी को उन पर मिलने वाला ब्याज, जब वह देय हो जाय, लेने की अनुज्ञा दी जायेगी।</p>
--	--

नियम-5 का संशोधन:

4- उक्त नियमावली में नियम-5 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-5(1) और (2) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
<p>5(1) आवेदक, प्रपत्र वि0म0-3 या वि0म0-3क या दोनों में नया लाइसेंस दिये जाने के लिए अपने प्रार्थना पत्र के साथ वर्ष या वर्ष के भाग के लिए 2,00,000 (दो लाख) रुपये जमा कर दिये जाने को दर्शाते हुए ट्रेजरी चालान की मूल प्रति संलग्न करेगा। उक्त के अतिरिक्त, बाटलिंग फीस की अग्रिम वसूली सुसंगत नियमों के उपबन्धों के अनुसार पृथक से की जायेगी।</p> <p>5(2) वि0म0-3 या वि0म0-3क का अनुज्ञापनधारी स्पिट, वाइन एवं बियर की बोटल भराई फीस का लेखा अद्यतन रखेगा। वास्तविक रूप से भरी गई बोटलों के फीस में समायोजन हेतु उसे बोटल भराई शुल्क अग्रिम रूप से 10,000 की किश्तों में जमा करना होगा। न्यूनतम फीस जैसा कि नियम-2 में वर्णित है, को घटाने के बाद यदि बोटल भराई शुल्क मद में कोई धनराशि वर्ष के अन्त में अवशेष रहती है तो उसे आगामी वर्ष में प्रयोग की अनुमति दी जा सकती है, जो लाइसेंस के निरस्तीकरण या नवीनीकरण न किये जाने पर वापस की जा सकती है।</p>	<p>5(1) आवेदक, प्रपत्र वि0म0-3 या वि0म0-3क या दोनों में नया लाइसेंस दिये जाने के लिए अपने प्रार्थना पत्र के साथ वर्ष या वर्ष के भाग के लिए 2,00,000 (दो लाख) रुपये जमा कर दिये जाने को दर्शाते हुए ट्रेजरी चालान की मूल प्रति संलग्न करेगा। उक्त के अतिरिक्त, बाटलिंग फीस की अग्रिम वसूली सुसंगत नियमों के उपबन्धों के अनुसार पृथक से की जायेगी।</p> <p>5(2) वि0म0-3 या वि0म0-3क का अनुज्ञापनधारी स्पिट, वाइन एवं बियर की बोटल भराई फीस का लेखा अद्यतन रखेगा। वास्तविक रूप से भरी गई बोटलों के फीस में समायोजन हेतु उसे बोटल भराई शुल्क अग्रिम रूप से 10,000 की किश्तों में जमा करना होगा। न्यूनतम फीस जैसा कि नियम-2 में वर्णित है, को घटाने के बाद यदि बोटल भराई शुल्क मद में कोई धनराशि वर्ष के अन्त में अवशेष रहती है तो उसे आगामी वर्ष में प्रयोग की अनुमति दी जा सकती है, जो लाइसेंस के निरस्तीकरण या नवीनीकरण न किये जाने पर वापस की जा सकती है। बाटलिंग फीस के मद में अग्रिम जमा आनलाइन किया जायेगा।</p>

नियम-6 का संशोधन-

5- उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-6 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
<p>(1) अनुज्ञापी बोटल में भराई कार्य उसी भू-गृहादि में करेगा जो आसवनी, यवासवनी या द्राक्षासवनी के बाहर बोटल भरने की दशा में जिलाधिकारी द्वारा और आसवनी, यवासवनी या द्राक्षासवनी के अन्दर बोटल भरने की दशा में आबकारी आयुक्त द्वारा पूर्वानुमादित हों और अनुज्ञापन पर पृष्ठांकित हों और भू-गृहादि का प्रयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए, सिवाय विदेशी मदिरा बोटल में भरने और उसे संग्रह करने के नहीं दिया</p>	<p>6. प्रपत्र विदेशी मदिरा-3 में प्रदान किया गया प्रत्येक लाइसेंस निम्नलिखित शर्तों के अद्यधीन होगा।</p> <p>(1) अनुज्ञापी बोटल में भराई कार्य उसी भू-गृहादि में करेगा जो आसवनी, यवासवनी या द्राक्षासवनी के बाहर बोटल भरने की दशा में जिलाधिकारी द्वारा और आसवनी, यवासवनी या द्राक्षासवनी के अन्दर बोटल भरने की दशा में आबकारी आयुक्त द्वारा पूर्वानुमादित हों और अनुज्ञापन पर पृष्ठांकित हों और भू-गृहादि का प्रयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए, सिवाय विदेशी मदिरा बोटल में भरने और उसे संग्रह करने के नहीं दिया जायेगा।</p>

जायेगा।

6(2) अनुज्ञापी उक्त भू-गृहादि में जिलाधिकारी या आबकारी आयुक्त, जैसी भी दशा हों कि पूर्वलिखित स्वीकृति के बिना कोई परिवर्तन नहीं करेगा और इस प्रकार के सभी परिवर्तन अनुज्ञापी द्वारा प्रस्तुत नक्शे में दिखाये जायेंगे।

6(3) बोटल में भराई कार्य इस प्रयोजनार्थ अलग किये गये, पृथक कक्ष (कक्षों) में किया जायेगा। अनुज्ञापी मदिरा के संग्रह के लिये भराई कक्ष (कक्षों) में बोटल भराई की टंकियां स्थापित करेगा। वह भराई कक्ष (कक्षों) में छानने, भराई करने या इससे सम्बन्धित प्रक्रिया के लिये आवश्यक उपकरण स्थापित करेगा।

बोटलों में भरी गयी मदिरा अलग कक्ष (कक्षों) में रखी जायेगी।

प्रत्येक कक्ष के बाहर एक तख्ती लगायी जायेगी जिस पर कक्ष का प्रयोग किस प्रयोजन के लिए किया जा रहा है, यह बात स्पष्ट रूप से लिखी जायेगी।

6(4) प्रतिरक्षा कर्मियों और नागरिकों को आपूर्ति किये जाने के लिये आयातित भारत निर्मित विदेशी मदिरा को बोटल में भरने के एक ही कक्ष में बोटल में भरा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में आपूर्ति करने के लिये देशी मदिरा को बोटल में भरने के लिये आबकारी आयुक्त की पूर्वानमति से बोटल में भरने के ऐसे कक्ष का उपयोग विशेष परिस्थितियों में किया जा सकता है:-

प्रतिबन्ध यह है कि देशी मदिरा की बोटलों में भराई के समय किसी भी दशा में विदेशी मदिरा की बोटलों में भराई नहीं की जायेगी और प्रतिरक्षा कर्मियों और नागरिकों के लिये भारत निर्मित विदेशी मदिरा की बोटलों में भराई एक साथ नहीं की जायेगी।

6(5) प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिए रियायती उपशुल्क की दर पर दी जाने वाली भारत निर्मित विदेशी रम को केवल कर देय आसवनी में ही बोटलों में ही भराई करने की स्वीकृति दी जायेगी।

6(6) रविवार तथा अन्य सार्वजनिक अवकाश के दिनों में बोटलों में भराई नहीं की जायेगी। जब अनुज्ञापी बोटलों में भराई करना चाहें तब वह जिलाधिकारी को 48 घन्टे पूर्व उसकी सूचना देगा जिसमें स्पष्ट रूप से बोटल में भराई करने के लिए प्रस्तावित दिन तथा समय का उल्लेख होगा तथा प्रतिबन्ध यह है कि बोटलों में भराई रविवार या सार्वजनिक अवकाश के दिन भी की जा सकती है और 48 घन्टे का नोटिस देना आवश्यक न होगा, यदि बोटलों की भराई किसी आसवनी, यवासवनी या द्राक्षासवनी में की जाय।

(7) सिवाय आबकारी आयुक्त की विशेष अनुज्ञा के और उसके अनुसार सम्मिश्रण (ब्लेण्डिंग) या तीव्रतारोह (रिड्यूसिंग) का निषेध है।

टिप्पणी:- पद "ब्लेण्डिंग" तथा (रिड्यूसिंग) का वही अर्थ होगा

(2) अनुज्ञापी उक्त भू-गृहादि में जिलाधिकारी या आबकारी आयुक्त, जैसी भी दशा हों कि पूर्वलिखित स्वीकृति के बिना कोई परिवर्तन नहीं करेगा और इस प्रकार के सभी परिवर्तन अनुज्ञापी द्वारा प्रस्तुत नक्शे में दिखाये जायेंगे।

(3) बोटल में भराई कार्य इस प्रयोजनार्थ अलग किये गये, पृथक कक्ष (कक्षों) में किया जायेगा। अनुज्ञापी मदिरा के संग्रह के लिये भराई कक्ष (कक्षों) में बोटल भराई की टंकियां स्थापित करेगा। वह भराई कक्ष (कक्षों) में छानने, भराई करने या इससे सम्बन्धित प्रक्रिया के लिये आवश्यक उपकरण स्थापित करेगा।

बोटलों में भरी गयी मदिरा अलग कक्ष (कक्षों) में रखी जायेगी।

प्रत्येक कक्ष के बाहर एक तख्ती लगायी जायेगी जिस पर कक्ष का प्रयोग किस प्रयोजन के लिए किया जा रहा है, यह बात स्पष्ट रूप से लिखी जायेगी।

(4) प्रतिरक्षा कर्मियों और नागरिकों को आपूर्ति किये जाने के लिये आयातित भारत निर्मित विदेशी मदिरा को बोटल में भरने के एक ही कक्ष में बोटल में भरा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में आपूर्ति करने के लिये देशी मदिरा को बोटल में भरने के लिये आबकारी आयुक्त की पूर्वानमति से बोटल में भरने के ऐसे कक्ष का उपयोग विशेष परिस्थितियों में किया जा सकता है:-

परन्तु यह कि देशी मदिरा की बोटलों में भराई के समय किसी भी दशा में विदेशी मदिरा की बोटलों में भराई नहीं की जायेगी और प्रतिरक्षा कर्मियों और नागरिकों के लिये भारत निर्मित विदेशी मदिरा की बोटलों में भराई एक साथ नहीं की जायेगी।

(5) प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिए रियायती उपशुल्क की दर पर दी जाने वाली भारत निर्मित विदेशी रम को केवल कर देय आसवनी में ही बोटलों में ही भराई करने की स्वीकृति दी जायेगी।

(6) जब अनुज्ञापी बोटलों में भराई करना चाहें तब वह सहायक आबकारी आयुक्त को अड़तालिस घन्टे पूर्व उसकी सूचना देगा जिसमें स्पष्ट रूप से बोटल में भराई करने के लिए प्रस्तावित दिन तथा समय का उल्लेख होगा तथा प्रतिबन्ध यह है कि बोटलों में भराई रविवार या सार्वजनिक अवकाश के दिन भी की जा सकती है और अड़तालिस घन्टे का नोटिस देना आवश्यक न होगा, यदि बोटलों की भराई किसी आसवनी, यवासवनी या द्राक्षासवनी में की जाय। सामान्यतः प्रत्येक कार्मिक की ड्युटी आठ घन्टे से अधिक नहीं होगी तथा तीन शिफ्ट में प्रातः 06.00 बजे से अपरान्ह 02.00 बजे तक, 02.00 बजे अपरान्ह से रात्रि 10.00 बजे तक तथा रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक होगी।

(7) सिवाय आबकारी आयुक्त की विशेष अनुज्ञा के और उसके अनुसार सम्मिश्रण (ब्लेण्डिंग) या तीव्रतारोह (रिड्यूसिंग) का निषेध है।

टिप्पणी:- पद "ब्लेण्डिंग" तथा (रिड्यूसिंग) का वही अर्थ होगा जो

जो आबकारी मैनुअल खण्ड-1 (1962 संस्करण) के पैरा 45 में दिया हुआ है।

6(8) सिवाय आबकारी आयुक्त की विशेष स्वीकृति के और उसके अनुसार विदेशी मदिरा में कोई सुवास पैदा करने वाला या रंगने वाला कोई पदार्थ अथवा कोई भी अन्य पदार्थ मिलाने का निषेध है।

6(9) यदि बोतल में भरी गयी स्पिरिट उत्तर प्रदेश में विक्रय के लिये हो तो अनुज्ञापी ब्रांडी, व्हिस्की या रम की दशा में 42 प्रतिशत अल्कोहल आयतन/आयतन से कम तीव्रताकी तथा "जिन" की दशा में 36 प्रतिशत अल्कोहल/आयतन/आयतन से कम तीव्रता की विदेशी मदिरा को बोतल में नहीं भरेगा। उत्तर प्रदेश के बाहर विक्रय के लिए बोतल में भरी गई स्पिरिट ऐसी तीव्रता पर जारी की जायेगी जैसा कि उस राज्य, संघ राज्य क्षेत्र या सम्बन्धित देश के विनियमों द्वारा अपेक्षित हो।

6(10)(क) लाइसेंसधारी सिवाय नमूने के अतिरिक्त स्पिरिट व वाइन के लिए 60 मि०ली० से कम धारिता की बोतल का प्रयोग नहीं करेगा तथा बियर के लिए 300 मि०ली० से कम धारिता की बोतल का प्रयोग नहीं करेगा।

6(10)(ख) उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित धारिता की बोतलों एवं फ्लास्कों का ही प्रयोग किया जायेगा।

6(11) लाइसेंसधारी स्पिरिट, वाइन और बियर को बोतलों/फ्लास्कों/डिब्बों या ऐसी क्षमता वाले किसी अन्य पात्रों में, जैसा कि आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किया जाय, भरेगा।

6(12) बोतलों/फ्लास्कों/डिब्बों या अन्य पात्रों पर यथास्थिति अंक और अक्षर स्पिरिट/वाइन/बियर और कम तीव्रता के मादक पेय की मात्रा को मि०ली० में डाला या बालुकाच्छेपित (सैण्डब्लास्ट) किया जायेगा।

6(13) बोतलों पर निर्माता का नाम या चिन्ह और "उत्तर प्रदेश" भी अंकित होगा।

6(14) अनुज्ञापी विदेशी मदिरा की भराई के लिए किसी ऐसी बोतल या फ्लास्क का प्रयोग नहीं करेगा जिस पर किसी अन्य भराई करने वाले या किसी अन्य आसवक या यवासवक या द्राक्षासवक का नाम या चिन्ह (मार्क) अंकित हो। तथापि आबकारी आयुक्त अनुज्ञापी को 06 माह से अनधिक अवधि के लिए सम्बन्धित भराई करने वाले आसवक, यवासवक या द्राक्षासवक की सहमति से ऐसी बोतलों तथा फ्लास्क के प्रयोग की अनुमति दे सकते हैं।

6(15) रियायती शुल्क की रम की भराई के लिए प्रयुक्त बोतलों पर शब्द "केवल सेना के लिए" और यदि इस रम का उत्तर प्रदेश से बाहर निर्यात किया जाना हो तो अक्षर

आबकारी मैनुअल खण्ड-1 (1962 संस्करण) के पैरा 45 में दिया हुआ है।

(8) सिवाय आबकारी आयुक्त की विशेष स्वीकृति के और उसके अनुसार विदेशी मदिरा में कोई सुवास पैदा करने वाला या रंगने वाला कोई पदार्थ अथवा कोई भी अन्य पदार्थ मिलाने का निषेध है।

(9) यदि बोतल में भरी गयी स्पिरिट उत्तर प्रदेश में विक्रय के लिये हो तो अनुज्ञापी ब्रांडी, व्हिस्की या रम की दशा में 42 प्रतिशत अल्कोहल आयतन/आयतन से कम तीव्रताकी तथा "जिन" की दशा में 36 प्रतिशत अल्कोहल/आयतन/आयतन से कम तीव्रता की विदेशी मदिरा को बोतल में नहीं भरेगा। उत्तर प्रदेश के बाहर विक्रय के लिए बोतल में भरी गई स्पिरिट ऐसी तीव्रता पर जारी की जायेगी जैसा कि उस राज्य, संघ राज्य क्षेत्र या सम्बन्धित देश के विनियमों द्वारा अपेक्षित हो।

(10) (क) लाइसेंसधारी सिवाय नमूने के अतिरिक्त स्पिरिट व वाइन के लिए 60 मि०ली० से कम धारिता की बोतल का प्रयोग नहीं करेगा तथा बियर के लिए 300 मि०ली० से कम धारिता की बोतल का प्रयोग नहीं करेगा।

(ख) उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित धारिता की बोतलों एवं फ्लास्कों का ही प्रयोग किया जायेगा।

(11) लाइसेंसधारी स्पिरिट, वाइन और बियर को बोतलों/फ्लास्कों/डिब्बों या ऐसी क्षमता वाले किसी अन्य पात्रों में, जैसा कि आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किया जाय, भरेगा।

(12) बोतलों/फ्लास्कों/डिब्बों या अन्य पात्रों पर यथास्थिति अंक और अक्षर स्पिरिट/वाइन/बियर और कम तीव्रता के मादक पेय की मात्रा को मि०ली० में डाला या बालुकाच्छेपित (सैण्डब्लास्ट) किया जायेगा।

(13) ग्लास/पेट बोतलों के चेस्ट पर आबकारी आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय सारिणी के अनुसार वर्ष के अन्तिम दो डिजिट सहित शब्द "उत्तर प्रदेश आबकारी" उभरे हुए रूप में अंकित किये जायेंगे।

(14) अनुज्ञापी विदेशी मदिरा की भराई के लिए किसी ऐसी बोतल या फ्लास्क का प्रयोग नहीं करेगा जिस पर किसी अन्य भराई करने वाले या किसी अन्य आसवक या यवासवक या द्राक्षासवक का नाम या चिन्ह (मार्क) अंकित हो। तथापि आबकारी आयुक्त अनुज्ञापी को 06 माह से अनधिक अवधि के लिए सम्बन्धित भराई करने वाले आसवक, यवासवक या द्राक्षासवक की सहमति से ऐसी बोतलों तथा फ्लास्क के प्रयोग की अनुमति दे सकते हैं।

(15) रियायती शुल्क की रम की भराई के लिए प्रयुक्त बोतलों पर शब्द "केवल सेना के लिए" और यदि इस रम का उत्तर प्रदेश से बाहर निर्यात किया जाना हो तो अक्षर "सी०एस०डी०" तथा यदि

“सी0एस0डी0” तथा यदि रम सेवा-कय संगठन को दिया जाना हो तो शब्द “ए0पी0ओ0” बालुकाच्छेपित (सैण्डब्लास्ट) या उभारे (एम्बास्ड) किये जायेंगे।

6(16)(क) अन्य राज्य या संघ क्षेत्र या अन्य देश को निर्यात की जाने वाली भारत निर्मित विदेशी मदिरा की भराई ऐसे बोतलों में की जायेगी जिस पर सम्बन्धित राज्य संघ राज्य क्षेत्र या देश विनियमों द्वारा अपेक्षित चिन्ह या संकेत हों।

6(16)(ख) निर्यात के लिए बोतलों में भरी जाने के निमित्त मदिरा ऐसे आकार की बोतलों में जारी की जा सकती है, जो सम्बन्धित राज्य संघ, राज्य क्षेत्र या देश के विनियमों द्वारा अपेक्षित हो।

6(17) विदेशी मदिरा की भराई के प्रयोजनार्थ प्रयुक्त की जाने वाली बोतलें पहले पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से फिर शुद्ध जल से ठीक तरह धोकर साफ की जायेगी।

6(18) बोतल भर जाने के बाद तुरन्त उनमें कार्क, कैप्सूल, ढकना तथा लेबिल लगाया जायेगा तथा वह मदिरा भरी हुई बोतलों के संग्रह कक्ष में ले जायी जायेगी। बोतलों में भराई की प्रत्येक प्रक्रिया “आपरेशन” की एक विशिष्ट क्रम संख्या दी जायेगी, जिसे बैच नम्बर कहा जायेगा। यह बैच नम्बर लेबिल पर लिखा जायेगा।

6(19) (1) भारत में निर्मित विदेशी मदिरा की दशा में बोतलों पर चिपकाये गये लेबिलों पर निम्नलिखित बाते स्पष्ट रूप से मुद्रित होंगी-

(क) बोतल में भरी हुई मदिरा का विवरण अर्थात् व्हिस्की, ब्राण्डी, रम, जिन आदि।

(ख) बोतल की प्रत्याभूत (गारन्टीड) द्रव मात्रा,

(ग) व्हिस्की, ब्राण्डी, रम या जिन की दशा में, बोतल में भरी हुई मदिरा की शक्ति,

(घ) शब्द “भारत में निर्मित”

(ङ) अनुज्ञापी का नाम तथा पता

(च) लेबुल पर नीचे उल्लिखित आकार में विरोधाभाषी रंग में “फार सेल इन उत्तर प्रदेश ओनली” विकर्णवत मुद्रण:-

(क) 750 एम0एल0 व उससे ऊपर के आकार की बोतलों में	8 एम0एम0 आकार के अक्षरों में
(ख) 375 एम0एल0 व उससे अधिक किन्तु 750 एम0एल0 से कम के आकार की बोतलों में	4 एम0एम0 आकार के अक्षरों में
(ग) 180 एम0एल0 व उससे अधिक किन्तु 375 एम0एल0 से कम के आकार की बोतलों में	2 एम0एम0 आकार के अक्षरों में
(घ) 180 एम0एल0 से कम के आकार की बोतलों में	1 एम0एम0 आकार के अक्षरों में

रम सेवा-कय संगठन को दिया जाना हो तो शब्द “ए0पी0ओ0” बालुकाच्छेपित (सैण्डब्लास्ट) या उभारे (एम्बास्ड) किये जायेंगे।

(16) (क) अन्य राज्य या संघ क्षेत्र या अन्य देश को निर्यात की जाने वाली भारत निर्मित विदेशी मदिरा की भराई ऐसे बोतलों में की जायेगी जिस पर सम्बन्धित राज्य संघ राज्य क्षेत्र या देश विनियमों द्वारा अपेक्षित चिन्ह या संकेत हों।

(ख) निर्यात के लिए बोतलों में भरी जाने के निमित्त मदिरा ऐसे आकार की बोतलों में जारी की जा सकती है, जो सम्बन्धित राज्य संघ, राज्य क्षेत्र या देश के विनियमों द्वारा अपेक्षित हो।

(17) विदेशी मदिरा की भराई के प्रयोजनार्थ प्रयुक्त की जाने वाली बोतलें पहले पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से फिर शुद्ध जल से ठीक तरह धोकर साफ की जायेगी।

(18) बोतल भर जाने के बाद तुरन्त उनमें कार्क, कैप्सूल तथा लेबिल लगाया जायेगा तथा वह मदिरा भरी हुई बोतलों के संग्रह कक्ष में ले जायी जायेगी। बोतलों में भराई की प्रत्येक प्रक्रिया “आपरेशन” की एक विशिष्ट क्रम संख्या दी जायेगी, जिसे बैच नम्बर कहा जायेगा। यह बैच नम्बर लेबिल पर लिखा जायेगा, जिसका डिजिटल रिकार्ड भी अनुरक्षित करते हुए आबकारी विभाग के आनलाइन अभिहित पोर्टल पर सभिट किया जायेगा।

(19) (1) भारत में निर्मित विदेशी मदिरा की दशा में बोतलों पर चिपकाये गये लेबिलों पर निम्नलिखित बाते स्पष्ट रूप से मुद्रित होंगी-

(क) बोतल में भरी हुई मदिरा का विवरण अर्थात् व्हिस्की, ब्राण्डी, रम, जिन आदि।

(ख) बोतल की प्रत्याभूत (गारन्टीड) द्रव मात्रा,

(ग) व्हिस्की, ब्राण्डी, रम या जिन की दशा में, बोतल में भरी हुई मदिरा की शक्ति,

(घ) शब्द “भारत में निर्मित”

(ङ) अनुज्ञापी का नाम तथा पता

(च) लेबुल पर नीचे उल्लिखित आकार में विरोधाभाषी रंग में “फार सेल इन उत्तर प्रदेश ओनली” विकर्णवत मुद्रण:-

(क) 750 एम0एल0 व उससे ऊपर के आकार की बोतलों में	8 एम0एम0 आकार के अक्षरों में
(ख) 375 एम0एल0 व उससे अधिक किन्तु 750 एम0एल0 से कम के आकार की बोतलों में	4 एम0एम0 आकार के अक्षरों में
(ग) 180 एम0एल0 व उससे अधिक किन्तु 375 एम0एल0 से कम के आकार की बोतलों में	2 एम0एम0 आकार के अक्षरों में
(घ) 180 एम0एल0 से कम के आकार की बोतलों में	1 एम0एम0 आकार के अक्षरों में

(2) आयात की गयी मदिरा की दशा में बोतलों पर चिपकाए गये लेबिल पर निम्नलिखित विवरण स्पष्ट रूप से मुद्रित होगा—

- (क) बोतल में, भरी हुई मदिरा का विवरण अर्थात व्हिस्की, ब्राण्डी, रम, जिन आदि
 (ख) बोतल की प्रत्याभूत मात्रा (गारन्टीड) द्रव मात्रा
 (ग) व्हिस्की, ब्राण्डी, रम या जिन की दशा में, बोतल में भरी हुई मदिरा की शक्ति,
 (घ) शब्द "निर्मित" तथा मूल उत्पादक देश का नाम
 (ङ) शब्द "बाटल्ल इन इण्डिया"
 (च) अनुज्ञापी का नाम तथा पता

(छ) लेबुल पर नीचे उल्लिखित आकार में विरोधाभाषी रंग में "फार सेल इन उत्तर प्रदेश ओनली" विकर्णवत मुद्रण:—

(क) 750 एम0एल0 व उससे ऊपर के आकार की बोतलों में	8 एम0एम0 आकार के अक्षरों में
(ख) 375 एम0एल0 व उससे अधिक किन्तु 750 एम0एल0 से कम के आकार की बोतलों में	4 एम0एम0 आकार के अक्षरों में
(ग) 180 एम0एल0 व उससे अधिक किन्तु 375 एम0एल0 से कम के आकार की बोतलों में	2 एम0एम0 आकार के अक्षरों में
(घ) 180 एम0एल0 से कम के आकार की बोतलों में	1 एम0एम0 आकार के अक्षरों में

(3) प्रतिरक्षा कर्मचारियों के प्रयोग के लिए विदेशी मदिरा की बोतलों पर चिपकाए गये लेबिलों पर भी निम्नलिखित संकेत-वाक्य (लीजेंड) मुद्रित किया जायेगा। लेबिल के शीर्ष पर, लाल स्याही में निम्नलिखित संकेत वाक्य—

"केवल प्रतिरक्षा कर्मचारियों को बिक्री के लिए" लेबिल के आर-पार विकर्णवत लाल स्याही में निम्नलिखित संकेत वाक्य—

"प्रतिरक्षा कर्मचारियों से भिन्न अन्य व्यक्तियों द्वारा रखना पूर्णतः निषेध है"

(4) किसी अन्य राज्य, संघ राज्य क्षेत्र या, अन्य देश को निर्यात के लिये बोतल में भरी गई मदिरा के लेबिल ऐसे आकार (डिजाइन) का होगा और उस पर ऐसे शब्द अंकित होंगे, जिनकी सम्बद्ध राज्य, संघ राज्य क्षेत्र या देश के विनियमों द्वारा अपेक्षा की जाय। यदि प्रयुक्त लेबिल उत्तर प्रदेश में प्रयोग के लिये अनुमोदित लेबिलों से मिलते हों, तो उन पर शब्द "केवल (राज्य, संघ राज्य क्षेत्र या देश का नाम) में बिक्री के लिए" पुनर्मुद्रित किये जायेंगे। पुनर्मुद्रण टाइप दो पंक्ति (लाइन) पाइका से छोटा नहीं होगा।

(5) बोतलों पर लेबिल इस प्रकार चिपकाए जायेंगे, जिससे कि वे सरलता से पहचाने जा सकें। बोतलों पर उभारे गये या बालुकाक्षेपित किसी भी शब्द अक्षर या अंक पर लेबिल नहीं चिपकाया जायेगा।

(6) प्रत्येक वर्ष लेबुल का प्रयोग करने के पूर्व लाइसेंसधारी उसकी ठीक वैसी ही चार प्रतियाँ आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रति लेबुल धारितावार प्रतिवर्ष लेबुल अनुमोदन शुल्क जमा करके उसके चालान की मूल प्रति के साथ

(2) आयात की गयी मदिरा की दशा में बोतलों पर चिपकाए गये लेबिल पर निम्नलिखित विवरण स्पष्ट रूप से मुद्रित होगा—

- (क) बोतल में, भरी हुई मदिरा का विवरण अर्थात व्हिस्की, ब्राण्डी, रम, जिन आदि
 (ख) बोतल की प्रत्याभूत मात्रा (गारन्टीड) द्रव मात्रा
 (ग) व्हिस्की, ब्राण्डी, रम या जिन की दशा में, बोतल में भरी हुई मदिरा की शक्ति,
 (घ) शब्द "निर्मित" तथा मूल उत्पादक देश का नाम
 (ङ) शब्द "बाटल्ल इन इण्डिया"
 (च) अनुज्ञापी का नाम तथा पता

(छ) लेबुल पर नीचे उल्लिखित आकार में विरोधाभाषी रंग में "फार सेल इन उत्तर प्रदेश ओनली" विकर्णवत मुद्रण:—

(क) 750 एम0एल0 व उससे ऊपर के आकार की बोतलों में	8 एम0एम0 आकार के अक्षरों में
(ख) 375 एम0एल0 व उससे अधिक किन्तु 750 एम0एल0 से कम के आकार की बोतलों में	4 एम0एम0 आकार के अक्षरों में
(ग) 180 एम0एल0 व उससे अधिक किन्तु 375 एम0एल0 से कम के आकार की बोतलों में	2 एम0एम0 आकार के अक्षरों में
(घ) 180 एम0एल0 से कम के आकार की बोतलों में	1 एम0एम0 आकार के अक्षरों में

(3) प्रतिरक्षा कर्मचारियों के प्रयोग के लिए विदेशी मदिरा की बोतलों पर चिपकाए गये लेबिलों पर भी निम्नलिखित संकेत-वाक्य (लीजेंड) मुद्रित किया जायेगा। लेबिल के शीर्ष पर, लाल स्याही में निम्नलिखित संकेत वाक्य—

"केवल प्रतिरक्षा कर्मचारियों को बिक्री के लिए" लेबिल के आर-पार विकर्णवत लाल स्याही में निम्नलिखित संकेत वाक्य—

"प्रतिरक्षा कर्मचारियों से भिन्न अन्य व्यक्तियों द्वारा रखना पूर्णतः निषेध है"

(4) किसी अन्य राज्य, संघ राज्य क्षेत्र या, अन्य देश को निर्यात के लिये बोतल में भरी गई मदिरा के लेबिल ऐसे आकार (डिजाइन) का होगा और उस पर ऐसे शब्द अंकित होंगे, जिनकी सम्बद्ध राज्य, संघ राज्य क्षेत्र या देश के विनियमों द्वारा अपेक्षा की जाय। यदि प्रयुक्त लेबिल उत्तर प्रदेश में प्रयोग के लिये अनुमोदित लेबिलों से मिलते हों, तो उन पर शब्द "केवल (राज्य, संघ राज्य क्षेत्र या देश का नाम) में बिक्री के लिए" पुनर्मुद्रित किये जायेंगे। पुनर्मुद्रण टाइप दो पंक्ति (लाइन) पाइका से छोटा नहीं होगा।

(5) बोतलों पर लेबिल इस प्रकार चिपकाए जायेंगे, जिससे कि वे सरलता से पहचाने जा सकें। बोतलों पर उभारे गये या बालुकाक्षेपित किसी भी शब्द अक्षर या अंक पर लेबिल नहीं चिपकाया जायेगा।

(6) प्रत्येक वर्ष लेबुल का प्रयोग करने के पूर्व लाइसेंसधारी उसकी ठीक वैसी ही चार प्रतियाँ आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रति लेबुल धारितावार प्रतिवर्ष लेबुल अनुमोदन शुल्क जमा करके उसके चालान की मूल प्रति के साथ सहायक आबकारी

सहायक आबकारी आयुक्त प्रभारी (आसवनी, यवासवनी व द्रक्षासवनी) को प्रस्तुत करेगा, जो उन्हें आबकारी आयुक्त को उनके अनुमोदनार्थ भेजेंगे। आबकारी आयुक्त या उनके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी, लेबुल को अनुमोदित करेंगे, तो उस पर नम्बर अंकित करेंगे और अपनी शासकीय मुहर लगायेंगे। एक प्रति आबकारी आयुक्त के कार्यालय में अभिलेखार्थ रखी जायेगी तथा शेष तीन प्रति सहायक आबकारी आयुक्त प्रभारी (आसवनी, यवासवनी व द्रक्षासवनी) को वापस कर दी जायेगी, जो उसकी एक प्रति सम्बन्धित (आसवनी, यवासवनी व द्रक्षासवनी) को दूसरी प्रति प्रभारी निरीक्षक को सूचनार्थ एवं अभिलेखार्थ देगा। तीसरी प्रति अपने कार्यालय में अभिलेखार्थ रखेंगे। लाइसेंसधारी लेबुल के सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये गये निर्देशों का अनुपालन करेगा।

(7) राज्य में निर्मित या भराई की गयी विदेशी मदिरा की पेटियों (कार्टन) की सभी छः सतहों (फेस) पर गाढ़े लाल रंग की डेढ़ इंच चौड़ी पट्टी पर कम से कम एक इंच आकार के काले रंग के अक्षरों में "फार सेल इन यूपी" मुद्रित कराया जायेगा।

नियम 6(20)(1) जब तक कि आबकारी आयुक्त ने अन्यथा स्वीकृति न दी हो, तब तक सभी बोतलें पिल्फर प्रूफ कैप्सूल या क्राउन कार्क सहित अल्मूनियम कैप्सूल द्वारा मजबूती से इस प्रकार सील बन्द की जायेगी कि कैप्सूल को बिना काटे या तोड़े बोतल को खोलना सम्भव न हो, विभिन्न प्रकार की मदिरा के लिये प्रयुक्त किये जाने वाले कैप्सूल मानक आकार के होंगे तथा उनके शीर्ष पर अनुज्ञापी का नाम अंकित होगा।

(2) अन्य राज्य, संघ राज्य क्षेत्र या देश को निर्यात की जाने वाली मदिरा की बोतलों पर प्रयुक्त होने वाले कैप्सूल पर ऐसे शब्द अंकित होंगे, जैसा कि आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश समय-समय पर निर्देश दें।

(3) अनुज्ञापी अनिवार्य रूप से ऐसे कैप्सूल का प्रयोग करेगा, जो "इण्डियन स्टैण्डर्ड इन्स्टीट्यूट" द्वारा अनुमोदित प्रकार (पैटर्न) तथा विनिर्दिष्टियों के अनुरूप हो व कैप्सूल के सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों का पालन करेगा।

(21) अनुज्ञापी निम्नलिखित रजिस्ट्रों में लेखा रखेगा—

(1) प्रपत्र वि0म0 ख-3 में रजिस्टर, जिसमें अनुज्ञापी बोतल में भरने के लिये प्राप्त तथा जारी की गयी मदिरा की मात्रा, उसका विवरण तथा उसकी शक्ति दर्ज करेगा।

(2) प्रपत्र वि0म0 ख-4 में रजिस्टर, जिसमें अनुज्ञापी बोतल में भराई के लिये की गई प्रक्रिया का विवरण लिखेगा।

(3) प्रपत्र. वि0म0 ख-5 में रजिस्टर, जिसमें अनुज्ञापी भराई की

आयुक्त प्रभारी (आसवनी, यवासवनी व द्रक्षासवनी) को प्रस्तुत करेगा, जो उन्हें आबकारी आयुक्त को उनके अनुमोदनार्थ भेजेंगे। आबकारी आयुक्त या उनके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी, लेबुल को अनुमोदित करेंगे, तो उस पर नम्बर अंकित करेंगे और अपनी शासकीय मुहर लगायेंगे। एक प्रति आबकारी आयुक्त के कार्यालय में अभिलेखार्थ रखी जायेगी तथा शेष तीन प्रति सहायक आबकारी आयुक्त प्रभारी (आसवनी, यवासवनी व द्रक्षासवनी) को वापस कर दी जायेगी, जो उसकी एक प्रति सम्बन्धित (आसवनी, यवासवनी व द्रक्षासवनी) को दूसरी प्रति प्रभारी निरीक्षक को सूचनार्थ एवं अभिलेखार्थ देगा। तीसरी प्रति अपने कार्यालय में अभिलेखार्थ रखेंगे। लाइसेंसधारी लेबुल के सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये गये निर्देशों का अनुपालन करेगा।

(7) राज्य में निर्मित या भराई की गयी विदेशी मदिरा की पेटियों (कार्टन) की सभी छः सतहों (फेस) पर गाढ़े लाल रंग की डेढ़ इंच चौड़ी पट्टी पर कम से कम एक इंच आकार के काले रंग के अक्षरों में "फार सेल इन यूपी" मुद्रित कराया जायेगा तथा पैकड कार्टन पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड लगाने के साथ विभिन्न धारिता/तीव्रता/ब्राण्ड/पैकेजिंग टाइप की बोतलों की विनिर्दिष्ट संख्या पैकड कार्टन पर अंकित किया जायेगा।

(20) (1) जब तक कि आबकारी आयुक्त ने अन्यथा स्वीकृति न दी हो, तब तक सभी बोतलें पिल्फर प्रूफ कैप्सूल या क्राउन कार्क सहित अल्मूनियम कैप्सूल द्वारा मजबूती से इस प्रकार सील बन्द की जायेगी कि कैप्सूल को बिना काटे या तोड़े बोतल को खोलना सम्भव न हो, विभिन्न प्रकार की मदिरा के लिये प्रयुक्त किये जाने वाले कैप्सूल मानक आकार के होंगे तथा उनके शीर्ष पर अनुज्ञापी का नाम अंकित होगा।

(2) अन्य राज्य, संघ राज्य क्षेत्र या देश को निर्यात की जाने वाली मदिरा की बोतलों पर प्रयुक्त होने वाले कैप्सूल पर ऐसे शब्द अंकित होंगे, जैसा कि आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश समय-समय पर निर्देश दें।

(3) अनुज्ञापी अनिवार्य रूप से ऐसे कैप्सूल का प्रयोग करेगा, जो "इण्डियन स्टैण्डर्ड इन्स्टीट्यूट" द्वारा अनुमोदित प्रकार (पैटर्न) तथा विनिर्दिष्टियों के अनुरूप हो व कैप्सूल के सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों का पालन करेगा।

(21) अनुज्ञापी निम्नलिखित रजिस्ट्रों में लेखा रखेगा—

(1) प्रपत्र वि0म0 ख-3 में रजिस्टर, जिसमें अनुज्ञापी बोतल में भरने के लिये प्राप्त तथा जारी की गयी मदिरा की मात्रा, उसका विवरण तथा उसकी शक्ति दर्ज करेगा।

(2) प्रपत्र वि0म0 ख-4 में रजिस्टर, जिसमें अनुज्ञापी बोतल में भराई के लिये की गई प्रक्रिया का विवरण लिखेगा।

(3) प्रपत्र. वि0म0 ख-5 में रजिस्टर, जिसमें अनुज्ञापी भराई की गई

गई तथा लाइसेंस प्राप्त भू-गृहादि में संग्रह की गयी विदेशी मदिरा की बोतलों का दैनिक लेखा रखेगा।

(4) प्रपत्र वि०म० ख-6 में खाता बही, जिसमें अनुज्ञापी लाइसेंस प्राप्त भू-गृहादि में सम्पन्न किये गये सभी कार्य की संक्षिप्ति दर्ज करेगा।

(5) प्रपत्र वि०म० ख-7 में रजिस्टर, जिसमें अनुज्ञापी महीने के अन्त में मदिरा की बल्क (जो बोतल में न भरी गई हो) तथा बोतल में भरी गई मात्रा दर्ज करेगा।

(6) प्रपत्र वि०म० ख-8 में टंकियों का माप रजिस्टर।

(7) प्रपत्र वि०म० ख-9 में डिप बुक पुस्तिका।

(22) लाइसेंसधारी उत्तर प्रदेश में विक्रय की जाने वाली भारत निर्मित विदेशी मदिरा, बियर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय को प्रत्येक बोतल, प्लास्क या कैन पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित सुरक्षा होलोग्राम/होलोग्राफिक श्रृंकस्लीव बोतल भराई के तुरन्त बाद निकासी के पूर्व लगायेगा। आसवक/यवासवक/द्राक्षासवक सुरक्षा होलोग्राम/पी०बी०सी० श्रृंक स्लीव की आपूर्ति अनुमोदित निर्माता से उसका मूल्य नकद या बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा करके प्राप्त करेगा। आसवक/यवासवक/द्राक्षासवक को अपना मांग पत्र सुरक्षा होलोग्राम/पी०बी०सी० श्रृंक स्लीव के आपूर्तिक/निर्माता को पर्याप्त समय पूर्व में भेजना होगा। उन्हें मांग पत्र की एक प्रति सुरक्षा होलोग्राम के गोदाम के प्रभारी अधिकारी (आबकारी आयुक्त) को भी प्रस्तुत करना होगा। सुरक्षा होलोग्राम आटोमेटिक मशीन या हाथ द्वारा इस प्रकार बोतलों में लगाया जायेगा। इसका निचला भाग बोतल की गर्दन (Neck) पर होगा तथा ऊपरी भाग बोतल के पिल्फर प्रूफ कैप्सूल या क्राउन कार्क के ऊपर भाग पर होगा। होलोग्राफिक श्रृंकस्लीव आटोमेटिक मशीन या हाथ से बोतल के गरम सुरंग से निकलने के बाद लगाया जायेगा। अनुज्ञापी सुरक्षा होलोग्राम/पी०बी०सी० श्रृंक स्लीव का लेखा निर्धारित रजिस्टर में रखेगा। इसका मासिक विवरण उप आबकारी आयुक्त प्रभार के माध्यम से आबकारी आयुक्त को भेजेगा।

(23) उत्तर प्रदेश में विक्रय की जाने वाली भारत निर्मित विदेशी मदिरा, बियर व वाइन के लेबुलों पर लाइसेंसधारी अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य अंकित करेगा।

तथा लाइसेंस प्राप्त भू-गृहादि में संग्रह की गयी विदेशी मदिरा की बोतलों का दैनिक लेखा रखेगा।

(4) प्रपत्र वि०म० ख-6 में खाता बही, जिसमें अनुज्ञापी लाइसेंस प्राप्त भू-गृहादि में सम्पन्न किये गये सभी कार्य की संक्षिप्ति दर्ज करेगा।

(5) प्रपत्र वि०म० ख-7 में रजिस्टर, जिसमें अनुज्ञापी महीने के अन्त में मदिरा की बल्क (जो बोतल में न भरी गई हो) तथा बोतल में भरी गई मात्रा दर्ज करेगा।

(6) प्रपत्र वि०म० ख-8 में टंकियों का माप रजिस्टर।

(7) प्रपत्र वि०म० ख-9 में डिप बुक पुस्तिका।

(8) ये प्रपत्र डिजिटली भी अनुरक्षित किये जायेंगे तथा आबकारी विभाग के अभिहित पोर्टल पर दैनिक अपलोड किये जायेंगे।

(22) लाइसेंसधारी उत्तर प्रदेश में विक्रय की जाने वाली भारत निर्मित विदेशी मदिरा, बियर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय के प्रत्येक बोतल, कैन अथवा ट्रेट्टा पैक सहित पैकिंग कार्टन पर जिसमें बोतलों की संख्या/धारिता/तीव्रता/ब्राण्ड/पैकेजिंग का प्रकार अंकित होगा, शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड भराई के तुरन्त बाद निकासी के पूर्व लगायेगा तथा इस सम्बन्ध में यथानिर्धारित व्यवस्था आसवक/यवासवक/द्राक्षासवक द्वारा अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जायेगी। यह सभी रिकार्ड डिजिटल भी अनुरक्षित करने के साथ ही विभागीय पोर्टल पर प्रतिदिन अपलोड किये जायेंगे।

(23) लाइसेंसधारी उत्तर प्रदेश में विक्रय की जाने वाली भारत निर्मित विदेशी मदिरा, बियर व वाइन के लेबुलों पर अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य इस प्रकार अंकित करेगा जो सरलता से दृश्य हो।

नियम-7 का संशोधन :

6- उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-7 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
---------------------------	--

नियम 7 वि0म0-3 में अनुज्ञापन के अधीन कर देय "बाण्ड में" भारत निर्मित विदेशी मदिरा को बोतल में भरने के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त विशेष शर्तें लागू होंगी:-

7(1) अनुज्ञापी प्रपत्र पी0डी0बी0 में एक अनुबन्ध पत्र "बाण्ड" आबकारी आयुक्त द्वारा निश्चित की गयी प्रतिभूति के साथ निष्पादित करेगा। प्रतिभूति या तो नकदी में या ब्याज वाहक प्रतिभूति, सरकारी प्रामिशरी नोट, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, डाक घर बचत बैंक पास बुक या डाकघर नकद प्रमाण पत्र में या स्टेट बैंक आफ इण्डिया या राज्य सरकार द्वारा यथाविधि अनुमोदित किसी अन्य बैंक की नियतकालिक जमा की रसीदों के रूप में दी जायेगी। यदि किसी समय आबकारी आयुक्त किसी कारण से यह समझता हो कि प्रतिभूति की इस प्रकार निश्चित की गयी धनराशि अपर्याप्त या अत्यधिक है, तो वह उसे बढ़ा या घटा सकता है।

7(2) बोतलों में भराई से सम्बन्धित प्रक्रिया आबकारी निरीक्षक की देख रेख में की जायेगी।

7(3) आबकारी आयुक्त बोतल में भराई से सम्बन्धित प्रक्रिया की उचित देखरेख के लिए आवश्यक आबकारी कर्मचारियों "पर्सनल" की संख्या निश्चित करेगा और उसके निर्णय का पालन करने के लिए अनुज्ञापी बाध्य होगा।

अनुज्ञापी बोतल में भराई की देख रेख के लिए आवश्यक आबकारी कर्मचारियों के लिए समय समय पर आबकारी शुल्क आयुक्त द्वारा निर्धारित व्यय प्रति कलेण्डर मास के अन्त में राज्य सरकार को देगा।

अनुज्ञापी आबकारी आयुक्त के संतोषानुसार आबकारी कर्मचारियों के लिए भारत निर्मित विदेशी मदिरा को बोतलों में भरने के लिए कर देय गोदाम के निकट, प्रत्येक कर्मचारी के मासिक वेतन के 10 प्रतिशत से अनधिक किराये पर क्वार्टरों की व्यवस्था करेगा।

अनुज्ञापी क्वार्टरों तथा उनके लगे स्थानों को ठीक प्रकार से मरम्मत कराकर रखने के लिए बाध्य होगा तथा उसमें रहने वाले अधिकारी को उसके प्रयोग या उसके उपभोग में न तो बाधा पहुँचायेगा और न परेशान करेगा। यदि कोई प्रश्न उठे कि आवास स्थान के प्रकार तथा पर्याप्तता को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्वार्टरों के स्वामी द्वारा मांगा गया किराया ठीक तथा उचित है या नहीं तो यह मामला आबकारी आयुक्त को अभिदिष्ट किया जायेगा जिसका निर्णय अन्तिम होगा तथा अनुज्ञापी पर बाध्यकर होगा।

7(4) बोतल में भराई सम्बन्धित पृथक कक्षों में की जायेगी जो भराई कक्ष कहलायेंगे और जो इस प्रयोजन के लिए भू-गृहादि के भीतर विदेशी मदिरा संग्रहागार के पास होगा। इन कक्षों में अनुज्ञापी छानने, भरायी करने या इससे सम्बन्धित किसी भी प्रक्रिया के लिए आवश्यक उपकरण स्थापित करेगा। बोतल भराई करने के कक्षों में विदेशी मदिरा का संग्रह करने के लिए बोतल भराई की टंकियां स्थापित की जायेंगी। बोतल में भरी मदिरा का संग्रह पृथक कक्षों में किया जायेगा।

सभी कक्ष भलीभाँति हवादार होंगे। सभी खिड़कियां और

7. वि0म0-3 में अनुज्ञापन के अधीन कर देय "बाण्ड में" भारत निर्मित विदेशी मदिरा को बोतल में भरने के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त विशेष शर्तें लागू होंगी:-

(1) अनुज्ञापी प्रपत्र पी0डी0बी0 में एक अनुबन्ध पत्र "बाण्ड" आबकारी आयुक्त द्वारा निश्चित की गयी प्रतिभूति के साथ निष्पादित करेगा। प्रतिभूति या तो नकदी में या ब्याज वाहक प्रतिभूति, सरकारी प्रामिशरी नोट, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, डाक घर बचत बैंक पास बुक या डाकघर नकद प्रमाण पत्र में या स्टेट बैंक आफ इण्डिया या राज्य सरकार द्वारा यथाविधि अनुमोदित किसी अन्य बैंक की नियतकालिक जमा की रसीदों के रूप में दी जायेगी। यदि किसी समय आबकारी आयुक्त किसी कारण से यह समझता हो कि प्रतिभूति की इस प्रकार निश्चित की गयी धनराशि अपर्याप्त या अत्यधिक है, तो वह उसे बढ़ा या घटा सकता है।

(2) बोतलों में भराई से सम्बन्धित प्रक्रिया आबकारी निरीक्षक की देख रेख में की जायेगी।

(3) आबकारी आयुक्त बोतल में भराई से सम्बन्धित प्रक्रिया की उचित देखरेख के लिए आवश्यक आबकारी कर्मचारियों "पर्सनल" की संख्या निश्चित करेगा और उसके निर्णय का पालन करने के लिए अनुज्ञापी बाध्य होगा।

निकाल दिया गया है।

अनुज्ञापी आबकारी आयुक्त के संतोषानुसार आबकारी कर्मचारियों के लिए भारत निर्मित विदेशी मदिरा को बोतलों में भरने के लिए कर देय गोदाम के निकट, प्रत्येक कर्मचारी के मासिक वेतन के 10 प्रतिशत से अनधिक किराये पर क्वार्टरों की व्यवस्था करेगा।

अनुज्ञापी क्वार्टरों तथा उनके लगे स्थानों को ठीक प्रकार से मरम्मत कराकर रखने के लिए बाध्य होगा तथा उसमें रहने वाले अधिकारी को उसके प्रयोग या उसके उपभोग में न तो बाधा पहुँचायेगा और न परेशान करेगा। यदि कोई प्रश्न उठे कि आवास स्थान के प्रकार तथा पर्याप्तता को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्वार्टरों के स्वामी द्वारा मांगा गया किराया ठीक तथा उचित है या नहीं तो यह मामला आबकारी आयुक्त को अभिदिष्ट किया जायेगा जिसका निर्णय अन्तिम होगा तथा अनुज्ञापी पर बाध्यकर होगा।

(4) बोतल में भराई सम्बन्धित पृथक कक्षों में की जायेगी जो भराई कक्ष कहलायेंगे और जो इस प्रयोजन के लिए भू-गृहादि के भीतर विदेशी मदिरा संग्रहागार के पास होगा। इन कक्षों में अनुज्ञापी छानने, भरायी करने या इससे सम्बन्धित किसी भी प्रक्रिया के लिए आवश्यक उपकरण स्थापित करेगा। बोतल भराई करने के कक्षों में विदेशी मदिरा का संग्रह करने के लिए बोतल भराई की टंकियां स्थापित की जायेंगी। बोतल में भरी मदिरा का संग्रह पृथक कक्षों में किया जायेगा।

सभी कक्ष भलीभाँति हवादार होंगे। सभी खिड़कियां और

रोशनदानों में मजबूत लोहे के छड़ लगाये जायेंगे, जो सीमेन्ट से जड़े होंगे और उनमें तार की जाली लगायी जायेगी, जाली के छिद्र 25 मिमी से अधिक बड़े नहीं होंगे। प्रत्येक कक्ष के बाहर एक दखती लगायी जायेगी जिस पर स्पष्ट रूप से जिस उद्देश्य के लिए उस कक्ष का प्रयोग किया जा रहा है, अंकित किया जायेगा। आबकारी निरीक्षक तथा अनुज्ञापी सभी कक्षों में अपने अलग ताले बन्द करेंगे।

7(5) बोतल में भराई कार्य निर्धारित समय में की जायेगी।

7(6) बोतलों में मदिरा की भराई सिवाय आबकारी निरीक्षक तथा अनुज्ञापी के किसी प्रतिनिधि की एक साथ उपस्थिति के नहीं की जायेगी।

7(7) आसवक, यवासवक और द्राक्षासवक की बोतल में भराई के लिए अपेक्षित मदिरा मापी जायेगी तथा मदिरा संग्रहागार में स्थायी रूप से लगाये गये पाइप द्वारा जिसमें कार्क हो तथा जिस पर आबकारी का ताला लगा हो या आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित किसी अन्य प्रकार से बन्द हो बोतल भराई कक्ष में लायी जायेगी।

7(8) सेना के लिए रियायती दर पर जारी की जाने वाली रम की भराई ऐसे कक्ष "कक्षों" में जहाँ किसी अन्य प्रकार की मदिरा की बोतल में भराई की जाती हो से भिन्न कक्ष "कक्षों" में करने की अनुमति दी जायेगी। बोतल में भरी गयी रियायती दर की रम का संग्रह अन्य किसी मदिरा के साथ नहीं किया जायेगा।

7(9) बोतल में भराई के कर देय गोदाम का प्रभारी आबकारी निरीक्षक निम्नलिखित रजिस्टर रखेगा।

- (1) प्रपत्र वि०म०-3 में रजिस्टर
- (2) प्रपत्र वि०म०-4 में रजिस्टर
- (3) प्रपत्र वि०म०-ख-5 में रजिस्टर
- (4) प्रपत्र वि०म०-ख-6 में खाता बही
- (5) प्रपत्र वि०म०-ख-7 में रजिस्टर
- (6) प्रपत्र वि०म०-ख-9 में डिप पुस्तिका

7(10) प्रत्येक कलेण्डर मास के अन्तिम कार्य दिवस को, उस दिन का सम्पूर्ण कार्य समाप्त किये जाने के पश्चात, प्रभारी आबकारी निरीक्षक बोतल में भराई के कर देय गोदाम, में संग्रहीत बोतलों में न भरी गई तथा बोतलों में भरी गई मदिरा की जांच करेगा, उसे नियत रजिस्ट्रों में दर्ज करेगा और भराई की प्रक्रिया तथा कर देय गोदाम में संग्रह करने में हुई मदिरा के छीजन को सुनिश्चित करेगा। .

रोशनदानों में मजबूत लोहे के छड़ लगाये जायेंगे, जो सीमेन्ट से जड़े होंगे और उनमें तार की जाली लगायी जायेगी, जाली के छिद्र 25 मिमी से अधिक बड़े नहीं होंगे। प्रत्येक कक्ष के बाहर एक दखती लगायी जायेगी जिस पर स्पष्ट रूप से जिस उद्देश्य के लिए उस कक्ष का प्रयोग किया जा रहा है, अंकित किया जायेगा। आबकारी निरीक्षक तथा अनुज्ञापी सभी कक्षों में अपने अलग ताले बन्द करेंगे।

(5) बोतल में भराई कार्य मांग के अनुरूप लगातार किया जायेगा।

(6) बोतलों में मदिरा की भराई सिवाय आबकारी निरीक्षक तथा अनुज्ञापी के किसी प्रतिनिधि की एक साथ उपस्थिति के नहीं की जायेगी तथा बोतल भराई कार्य आई०पी०एड्रेस सहित सी०सी०टी०वी० कैमरे की निगरानी में किया जायेगा।

(7) आसवक, यवासवक और द्राक्षासवक की बोतल में भराई के लिए अपेक्षित मदिरा मापी जायेगी तथा मदिरा संग्रहागार में स्थायी रूप से लगाये गये पाइप द्वारा जिसमें कार्क हो तथा जिस पर आबकारी का ताला लगा हो या आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित किसी अन्य प्रकार से बन्द हो बोतल भराई कक्ष में लायी जायेगी।

(8) सेना के लिए रियायती दर पर जारी की जाने वाली रम की भराई ऐसे कक्ष "कक्षों" में जहाँ किसी अन्य प्रकार की मदिरा की बोतल में भराई की जाती हो से भिन्न कक्ष "कक्षों" में करने की अनुमति दी जायेगी। बोतल में भरी गयी रियायती दर की रम का संग्रह अन्य किसी मदिरा के साथ नहीं किया जायेगा।

(9) बोतल में भराई के कर देय गोदाम का प्रभारी आबकारी निरीक्षक निम्नलिखित रजिस्टर रखेगा।

- (1) प्रपत्र वि०म०-3 में रजिस्टर
- (2) प्रपत्र वि०म०-4 में रजिस्टर
- (3) प्रपत्र वि०म०-ख-5 में रजिस्टर
- (4) प्रपत्र वि०म०-ख-6 में खाता बही
- (5) प्रपत्र वि०म०-ख-7 में रजिस्टर
- (6) प्रपत्र वि०म०-ख-9 में डिप पुस्तिका

(7) ये प्रपत्र डिजिटली भी अनुरक्षित किये जायेंगे तथा विभागीय अभिहित पोर्टल पर प्रतिदिन अपलोड किये जायेंगे।

(10) प्रत्येक कलेण्डर मास के अन्तिम कार्य दिवस को, उस दिन का सम्पूर्ण कार्य समाप्त किये जाने के पश्चात, प्रभारी आबकारी निरीक्षक बोतल में भराई के कर देय गोदाम, में संग्रहीत बोतलों में न भरी गई तथा बोतलों में भरी गई मदिरा की जांच करेगा, उसे नियत रजिस्ट्रों में दर्ज करेगा और भराई की प्रक्रिया तथा कर देय गोदाम में संग्रह करने में हुई मदिरा के छीजन को सुनिश्चित करेगा। .

7-11 (क) बोटल में भराई तथा संग्रह करने में वास्तविक हानि के लिये एक मास की अवधि में संग्रहित स्प्रिट तथा बीयर की कुल मात्रा पर एक प्रतिशत तक की छूट दी जा सकती है। एक प्रतिशत से अधिक छीजन पर लाइसेंसधारी प्रतिफल शुल्क का देनदार होगा।

(ख) जब छीजन विहित सीमा से अधिक न हो, तो प्रभारी आबकारी निरीक्षक द्वारा कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु यदि स्टाक की मासिक जांच के समय छीजन अधिक पायी जाय तो आबकारी निरीक्षक अगले मास की पांचवी तारीख तक कलेक्टर को प्रपत्र वि०म० बी०-10 में एक विवरण पत्र प्रेषित करेगा, जिसमें छीजन की वास्तविक मात्रा तथा लाइसेंसधारी द्वारा अतिरिक्त छीजन पर देय प्रतिफल शुल्क उल्लिखित होगा। विवरण पत्र प्राप्त होने पर कलेक्टर भारत निर्मित विदेशी स्प्रिट पर उद्ग्रहणीय प्रतिफल शुल्क की निम्न दर पर लाइसेंसधारी से प्रतिफल शुल्क वसूल करेगा।

भारत निर्मित विदेशी मदिरा (बोटल में भरी हुई)- भारत निर्मित विदेशी मदिरा की सम्बन्धित श्रेणी पर उद्ग्रहणीय प्रतिफल शुल्क की दर से।

7(12)- भारत निर्मित विदेशी मदिरा को बोटल में भरने के लिये कर देय गोदाम का प्रभारी आबकारी निरीक्षक जब तक कि अन्यथा निर्देश न दिया जाय, उस समय सहायक आबकारी आयुक्त के जिसके प्रादेशिक प्रभार में कर देय गोदाम स्थित हो, पर्यवेक्षण में कार्य करेगा और उसके साथ पत्र व्यवहार करेगा। कर देय गोदाम के कार्यकरण से सम्बन्धित सभी सामान्य मामलों में अनुज्ञापी को चाहिये कि वह प्रथमतः प्रभारी आबकारी निरीक्षक को आवेदन पत्र दे, जो यदि आवश्यक हो, उच्च आदेश प्राप्त करेगा।

7 (13)- भारत निर्मित विदेशी मदिरा को बोटल में भरने के लिये कर देय गोदाम पर नियुक्त निरीक्षकों की उपस्थिति का समय सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा नियत किया जायेगा। कर देय गोदाम पर नियुक्त आबकारी निरीक्षक, लिपिकों और सिपाहियों की उपस्थिति का समय नियत करेगा। सामान्यतया प्रत्येक अधिकारी की प्रतिदिन 8 घण्टें से अधिक समय के लिये ड्यूटी न होगी। यदि किसी कर देय गोदाम में एक से अधिक निरीक्षक नियुक्त किया जाय, तो यदि अनुज्ञापी चाहें तो वे प्रक्रियायें जिनमें निरीक्षक की उपस्थिति आवश्यक हो, 6 बजे प्रातः से 6 बजे सायं तक जारी रह सकती है।

7(14)- भारत निर्मित विदेशी मदिरा की बोटल भराई के लिये बंधित गोदामों पर तैनात आबकारी कर्मचारी वर्ग हेतु अनुज्ञात अवकाश दिवस निम्नलिखित हैं:-

रविवार, गणतंत्र दिवस (26 जनवरी), गुडफ्राइडे, महात्मा गांधी का जन्म-दिवस (सरकारी), स्वतंत्रता दिवस, किसिमस दिवस, होली (होलिका दहन का अगला दिन), जन्माष्टमी, दशहरा (मुख्य दिवस), दीवाली (मुख्य दिवस), ईदुल फितर (मुख्य दिवस), ईदुज्जुहा, मुहर्रम (दसवां दिन) शब-ए-बरात, अन्य राजपत्रित अवकाश की अनुमति तभी होगी, यदि आसवक विशेष आधार पर आबकारी आयुक्त की स्वीकृति से स्वयं बन्द करते हैं।

11 (क) बोटल में भराई तथा संग्रह करने में वास्तविक हानि के लिये एक मास की अवधि में संग्रहित स्प्रिट तथा बीयर की कुल मात्रा पर एक प्रतिशत तक की छूट दी जा सकती है। एक प्रतिशत से अधिक छीजन पर लाइसेंसधारी प्रतिफल शुल्क का देनदार होगा।

(ख) जब छीजन विहित सीमा से अधिक न हो, तो प्रभारी आबकारी निरीक्षक द्वारा कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु यदि स्टाक की मासिक जांच के समय छीजन अधिक पायी जाय तो आबकारी निरीक्षक अगले मास की पांचवी तारीख तक कलेक्टर को प्रपत्र वि०म० बी०-10 में एक विवरण पत्र प्रेषित करेगा, जिसमें छीजन की वास्तविक मात्रा तथा लाइसेंसधारी द्वारा अतिरिक्त छीजन पर देय प्रतिफल शुल्क उल्लिखित होगा। विवरण पत्र प्राप्त होने पर कलेक्टर भारत निर्मित विदेशी स्प्रिट पर उद्ग्रहणीय प्रतिफल शुल्क की निम्न दर पर लाइसेंसधारी से प्रतिफल शुल्क वसूल करेगा।

भारत निर्मित विदेशी मदिरा (बोटल में भरी हुई)- भारत निर्मित विदेशी मदिरा की सम्बन्धित श्रेणी पर उद्ग्रहणीय प्रतिफल शुल्क की दर से।

(12)- भारत निर्मित विदेशी मदिरा को बोटल में भरने के लिये कर देय गोदाम का प्रभारी आबकारी निरीक्षक जब तक कि अन्यथा निर्देश न दिया जाय, उस समय **उप आबकारी आयुक्त** के जिसके प्रादेशिक प्रभार में कर देय गोदाम स्थित हो, पर्यवेक्षण में कार्य करेगा और उसके साथ पत्र व्यवहार करेगा। कर देय गोदाम के कार्यकरण से सम्बन्धित सभी सामान्य मामलों में अनुज्ञापी को चाहिये कि वह प्रथमतः प्रभारी आबकारी निरीक्षक को आवेदन पत्र दे, जो यदि आवश्यक हो, उच्च आदेश प्राप्त करेगा।

(13)- भारत निर्मित विदेशी मदिरा को बोटल में भरने के लिये कर देय गोदाम पर नियुक्त निरीक्षकों की उपस्थिति का शिफ्ट और समय सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा नियत किया जायेगा। कर देय गोदाम पर नियुक्त आबकारी निरीक्षक, लिपिकों और सिपाहियों की उपस्थिति का समय नियत करेगा। सामान्यतया प्रत्येक अधिकारी की प्रतिदिन आठ घण्टें से अधिक समय के लिये ड्यूटी न होगी। **अनुज्ञापी बाटलिंग का कार्य चौबीस घण्टे कर सकता है, जिसमें तीन शिफ्ट प्रातः 06.00 बजे से 02.00 बजे अपराह्न तक, 02.00 बजे अपराह्न से रात्रि 10.00 बजे तक तथा रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक होगी।**

(14)- भारत निर्मित विदेशी मदिरा की बोटल भराई के लिये बंधित गोदामों पर तैनात आबकारी कर्मचारी वर्ग हेतु अनुज्ञात अवकाश दिवस निम्नलिखित हैं:-

रविवार, गणतंत्र दिवस (26 जनवरी), गुडफ्राइडे, महात्मा गांधी का जन्म-दिवस (सरकारी), स्वतंत्रता दिवस, किसिमस दिवस, होली (होलिका दहन का अगला दिन), जन्माष्टमी, दशहरा (मुख्य दिवस), दीवाली (मुख्य दिवस), ईदुल फितर (मुख्य दिवस), ईदुज्जुहा, मुहर्रम (दसवां दिन) शब-ए-बरात, अन्य राजपत्रित अवकाश की अनुमति तभी होगी, यदि आसवक विशेष आधार पर आबकारी आयुक्त की स्वीकृति से स्वयं बन्द करते हैं।

यदि बंधित गोदाम में नियुक्त आबकारी कर्मचारी वर्ग से ऐसे अवकाश दिवसों में से किसी दिवस पर या रात्रि में उपस्थित रहने की अपेक्षा की जाती है, तो अनुज्ञापी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वे सरकार को सम्बन्धित कर्मचारी के औसत वेतन की चार गुणा धनराशि प्रति घण्टा या घण्टे के भाग, जो 15 मिनट से कम न हो, का भुगतान करें, किन्तु कार्य दिवस को दिन में किये गये अतिरिक्त कार्य के आधार पर ऐसी धनराशि सम्बन्धित कर्मचारी के औसत वेतन का दो गुना ही होगी।

अनुज्ञापी शीर्षक '0039 राज्य आबकारी अन्य प्राप्तियों' में देय धनराशि जमा करके ही अवकाश के दिनों या अतिरिक्त समय में कर्मचारीवर्ग की सेवा प्राप्त कर सकेंगे।

7(15)— भारत निर्मित विदेशी मदिरा के बोतल में भरने का कर देय गोदाम केवल उन व्यक्तियों के प्रवेश तथा निर्गमन के लिये खुलेगा, जिनको उनके अन्दर काम हो। आबकारी विभाग के अधिकारियों तथा अन्य सरकारी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों, अनुज्ञापीगण, उसके सेवकों तथा ऐसे लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं को, जो शराब खरीदने के लिये आये हों, के अलावा अन्य किसी को किसी भी बहाने भू-गृहादि में प्रवेश करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी। एक रजिस्टर रखा जायेगा, जिसमें अनुज्ञापी द्वारा सेवायोजित समस्त व्यक्तियों के नाम होंगे।

7(16)— भारत निर्मित विदेशी मदिरा को बोतल में भरने के लिये कर देय गोदाम में प्रवेश करने वाले समस्त व्यक्ति अपने आचरण के सम्बन्ध में और गोदाम के अन्दर कार्यवाहियों के लिये प्रभारी आबकारी निरीक्षक के आदेश के अधीन होंगे और भूगृहादि को छोड़ने के समय उनकी तालाशी प्रभारी आबकारी निरीक्षक के विवेकानुसार ली जा सकेगी।

7(17) — यदि अनुज्ञापी की जानकारी में यह बात आये कि उनके द्वारा सेवायोजित किसी व्यक्ति ने आबकारी विधियों को या उसके द्वारा किये गये वचन-बंध का उल्लंघन किया है, तो यह उसका कर्तव्य होगा कि वह जिलाधिकारी को मामले की रिपोर्ट करे और ऐसे व्यक्ति को सेवा में बनाये रखने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी के निर्देशों का पालन करे।

7(18) — भारत निर्मित विदेशी मदिरा को बोतल में भरने के कर देय गोदाम के प्रभारी आबकारी निरीक्षक किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके सम्बन्ध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि उसने इन नियमों या एक्साइज एक्ट के उपबन्धों का उल्लंघन किया है या करने वाला है, या तो नशे में है या अनुशासनहीन है, भू-गृहादि से निकाल सकता है और बाहर कर सकता है। वह इस नियम के अधीन किये गये समस्त कार्यों को लिखित रूप में उल्लेख अपनी सरकारी डायरी में अपने वरिष्ठ अधिकारियों के सूचनार्थ तत्काल करेगा।

7(19)— अनुज्ञापी भारत निर्मित विदेशी मदिरा को बोतल में भरने के कर देय गोदाम के प्रबन्ध और वहाँ से विदेशी मदिरा की निकासी के लिये समस्त सामान्य नियमों से, जो पहले से ही प्रवृत्त हो या जो एतदपश्चात् वर्तमान आबकारी विधियों या किसी अन्य विधि के अधीन जो एतदपश्चात् अधिनियमित की जाय,

निकाल दिया गया है।

निकाल दिया गया है।

(15)— भारत निर्मित विदेशी मदिरा के बोतल में भरने का कर देय गोदाम केवल उन व्यक्तियों के प्रवेश तथा निर्गमन के लिये खुलेगा, जिनको उनके अन्दर काम हो। आबकारी विभाग के अधिकारियों तथा अन्य सरकारी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों, अनुज्ञापीगण, उसके सेवकों तथा ऐसे लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं को, जो शराब खरीदने के लिये आये हों, के अलावा अन्य किसी को किसी भी बहाने भू-गृहादि में प्रवेश करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी। एक रजिस्टर रखा जायेगा, जिसमें अनुज्ञापी द्वारा सेवायोजित समस्त व्यक्तियों के नाम होंगे।

(16)— भारत निर्मित विदेशी मदिरा को बोतल में भरने के लिये कर देय गोदाम में प्रवेश करने वाले समस्त व्यक्ति अपने आचरण के सम्बन्ध में और गोदाम के अन्दर कार्यवाहियों के लिये प्रभारी आबकारी निरीक्षक के आदेश के अधीन होंगे और भूगृहादि को छोड़ने के समय उनकी तालाशी प्रभारी आबकारी निरीक्षक के विवेकानुसार ली जा सकेगी।

(17) — यदि अनुज्ञापी की जानकारी में यह बात आये कि उनके द्वारा सेवायोजित किसी व्यक्ति ने आबकारी विधियों को या उसके द्वारा किये गये वचन-बंध का उल्लंघन किया है, तो यह उसका कर्तव्य होगा कि वह जिलाधिकारी को मामले की रिपोर्ट करे और ऐसे व्यक्ति को सेवा में बनाये रखने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी के निर्देशों का पालन करे।

(18) — भारत निर्मित विदेशी मदिरा को बोतल में भरने के कर देय गोदाम के प्रभारी आबकारी निरीक्षक किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके सम्बन्ध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि उसने इन नियमों या एक्साइज एक्ट के उपबन्धों का उल्लंघन किया है या करने वाला है, या तो नशे में है या अनुशासनहीन है, भू-गृहादि से निकाल सकता है और बाहर कर सकता है। वह इस नियम के अधीन किये गये समस्त कार्यों को लिखित रूप में उल्लेख अपनी सरकारी डायरी में अपने वरिष्ठ अधिकारियों के सूचनार्थ तत्काल करेगा।

(19)— अनुज्ञापी भारत निर्मित विदेशी मदिरा को बोतल में भरने के कर देय गोदाम के प्रबन्ध और वहाँ से विदेशी मदिरा की निकासी के लिये समस्त सामान्य नियमों से, जो पहले से ही प्रवृत्त हो या जो एतदपश्चात् वर्तमान आबकारी विधियों या किसी अन्य विधि के अधीन जो एतदपश्चात् अधिनियमित की जाय, नियत किये जाय तथा किसी

नियत किये जायं तथा किसी एक कर देय गोदाम के सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये गये समस्त विशेष आदेशों से बाध्य होगा और उसके द्वारा मदिरा के निर्माण, निकासी आदि के कार्य के लिये सेवायोजित समस्त व्यक्तियों से ऐसे सभी नियमों का पालन करेगा।

7(20) (1)— कोई मदिरा, सिवाय प्रपत्र वि०म०-11 में पास अन्तर्गत जो इस सम्बन्ध में अधिकृत अधिकारी द्वारा दिया गया हो, हटाई नहीं जायेगी। पास उपशुल्क की पूरी अदायगी के प्रमाण पर या अनुबन्ध के निष्पादन के प्रमाण पर जारी किया जायेगा। यह तीन प्रतियों में होगा, एक प्रति अनुज्ञापी को परिवहन या निर्यात को आवरित करने के लिये दी जायेगी, दूसरी प्रति परिवहन या निर्यात वाले जिले के मुख्य राजस्व प्राधिकारी को अग्रसारित की जायेगी और तीसरी प्रति अभिलेख के लिये रख ली जायेगी।

(2) कर देय मदिरा जारी की जाने की दशा में अनुज्ञापी मदिरा को, यथास्थिति, किसी स्थान विशेष या गन्तव्य स्थान पर देने के निमित्त प्रपत्र वि०म०-ख ख 1 या वि०म० ख ख 2 में प्रतिभू सहित या प्रतिभू रहित, जो इष्टकर हो, एक सामान्य या विशेष बन्ध-पत्र निष्पादित करेगा।

(3) विशेष बन्ध-पत्र के अन्तर्गत जारी की गयी मदिरा की दशा में, अनुज्ञापी द्वारा इस बात का प्रमाण देने पर कि उसने मदिरा गन्तव्य स्थान पर दे दी है, बन्ध-पत्र उन्मुक्त कर दिया जायगा, बशर्त बन्ध-पत्र की किसी भी शर्त का अतिलंघन न किया गया हो। किसी सामान्य-बन्ध पत्र के अधीन जारी किये गये परेषण पर देय शुल्क को अनुज्ञापी द्वारा इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करने पर कि मदिरा गन्तव्य स्थान पर दे दी गयी है, बट्टे खाता डाला जायेगा, बशर्त बन्ध-पत्र की किसी भी शर्त का अतिलंघन न किया गया हो।

(4) यदि अनुज्ञापी बन्ध पत्र या पास में उल्लिखित समय के भीतर गन्तव्य स्थान पर मदिरा दे दिये जाने का प्रमाण प्रस्तुत नहीं करता है अथवा यदि यह प्रतीत हो कि बन्ध-पत्र की किसी शर्त का अतिलंघन किया गया है, तो प्रभारी आबकारी निरीक्षक, निष्पादक या इसके प्रतिभूओं से बन्ध-पत्र के अधीन शास्ति वसूल करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करेगा।

(5) प्रपत्र वि०म० ख-12 में बन्ध पत्र का एक रजिस्टर रखा जायगा और कर देय प्रत्येक निर्गम जिस दिन यह दिया जाय, इस रजिस्टर में दर्ज किया जायगा। यह सूचना प्राप्त होने पर कि परेषण यथाविधि आ गया है, बन्ध-पत्र रजिस्टर के संगत स्तम्भ में इस आशय की प्रविष्टि की जायगी और बन्ध पत्र को, जहाँ तक उक्त परेषण का सम्बन्ध है, उन्मुक्त कर दिया जायगा।

जैसे ही किसी परेषण से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ पूरी हो जायं, बोटल भराई के गोदाम का प्रभारी आबकारी निरीक्षक, उन पर एक लाल रेखा खींचेगा, जिससे कि वह एक दृष्टि में मार्गस्थ मदिरा

एक कर देय गोदाम के सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये गये समस्त विशेष आदेशों से बाध्य होगा और उसके द्वारा मदिरा के निर्माण, निकासी आदि के कार्य के लिये सेवायोजित समस्त व्यक्तियों से ऐसे सभी नियमों का पालन करेगा।

(20) (i)— कोई मदिरा, सिवाय प्रपत्र वि०म०-11 में पास, जिस पर सिक्वोरिटी कोड चरपा किया जायेगा, जिसमें पारेषण के विस्तृत विवरण सहित परिवहन किये जाने वाले विशिष्ट वाहन का भी विवरण अंकित होंगे के अन्तर्गत जो इस सम्बन्ध में अधिकृत अधिकारी द्वारा दिया गया हो, हटाई नहीं जायेगी। पास उपशुल्क की पूरी अदायगी के प्रमाण पर या अनुबन्ध के निष्पादन के प्रमाण पर जारी किया जायेगा। यह तीन प्रतियों में होगा, एक प्रति अनुज्ञापी को परिवहन या निर्यात को आवरित करने के लिये दी जायेगी, दूसरी प्रति परिवहन या निर्यात वाले जिले के मुख्य राजस्व प्राधिकारी को अग्रसारित की जायगी और तीसरी प्रति अभिलेख के लिये रख ली जायेगी। सभी अभिलेख डिजिटली भी अनुरक्षित करते हुए विभागीय अभिहित पोर्टल पर अपलोड किये जायेंगे।

(ii) कर देय मदिरा जारी की जाने की दशा में अनुज्ञापी मदिरा को, यथास्थिति, किसी स्थान विशेष या गन्तव्य स्थान पर देने के निमित्त प्रपत्र वि०म०-ख ख 1 या वि०म० ख ख 2 में प्रतिभू सहित या प्रतिभू रहित, जो इष्टकर हो, एक सामान्य या विशेष बन्ध-पत्र निष्पादित करेगा।

(iii) विशेष बन्ध-पत्र के अन्तर्गत जारी की गयी मदिरा की दशा में, अनुज्ञापी द्वारा इस बात का प्रमाण देने पर कि उसने मदिरा गन्तव्य स्थान पर दे दी है, बन्ध-पत्र उन्मुक्त कर दिया जायगा, बशर्त बन्ध-पत्र की किसी भी शर्त का अतिलंघन न किया गया हो। किसी सामान्य-बन्ध पत्र के अधीन जारी किये गये परेषण पर देय शुल्क को अनुज्ञापी द्वारा इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करने पर कि मदिरा गन्तव्य स्थान पर दे दी गयी है, बट्टे खाता डाला जायेगा, बशर्त बन्ध-पत्र की किसी भी शर्त का अतिलंघन न किया गया हो।

(iv) यदि अनुज्ञापी बन्ध पत्र या पास में उल्लिखित समय के भीतर गन्तव्य स्थान पर मदिरा दे दिये जाने का प्रमाण प्रस्तुत नहीं करता है अथवा यदि यह प्रतीत हो कि बन्ध-पत्र की किसी शर्त का अतिलंघन किया गया है, तो प्रभारी आबकारी निरीक्षक, निष्पादक या इसके प्रतिभूओं से बन्ध-पत्र के अधीन शास्ति वसूल करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करेगा।

(v) प्रपत्र वि०म० ख-12 में बन्ध पत्र का एक रजिस्टर रखा जायगा और कर देय प्रत्येक निर्गम जिस दिन यह दिया जाय, इस रजिस्टर में दर्ज किया जायगा। यह सूचना प्राप्त होने पर कि परेषण यथाविधि आ गया है, बन्ध-पत्र रजिस्टर के संगत स्तम्भ में इस आशय की प्रविष्टि की जायगी और बन्ध पत्र को, जहाँ तक उक्त परेषण का सम्बन्ध है, उन्मुक्त कर दिया जायगा।

जैसे ही किसी परेषण से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ पूरी हो जायं, बोटल भराई के गोदाम का प्रभारी आबकारी निरीक्षक, उन पर एक लाल रेखा खींचेगा, जिससे कि वह एक दृष्टि में मार्गस्थ मदिरा की

की मात्रा देख सके तथा निर्गमादि को बन्ध पत्र में उल्लिखित धनराशि तक सीमित कर सके।

मात्रा देख सके तथा निर्गमादि को बन्ध पत्र में उल्लिखित धनराशि तक सीमित कर सके।

7(21)— भारत निर्मित विदेशी मदिरा को बोटल में भरने के कर देय गोदाम से निकासी अनुज्ञापी द्वारा निम्न प्रकार से की जा सकती है:-

(1) विदेशी मदिरा के निर्यात तथा परिवहन को नियंत्रित करने वाले नियमों में की गई व्यवस्था के अनुसार विदेशी मदिरा की अनुबन्ध के अन्तर्गत निकासी व्यक्तियों तथा स्थानों को की जा सकती है।

(2) उपशुल्क का भुगतान करने पर विदेशी मदिरा की निकासी—

(1) उस भू-गृहादि को, जिसके सम्बन्ध में अनुज्ञापी ने विदेशी मदिरा के विक्रय के लिये थोक बिक्री का अनुज्ञा पत्र ले रखा हो।

(2) निम्न दर पर उप शुल्क भुगतान करने पर निर्यात तथा परिवहन के नियमों में की गई व्यवस्था के अनुसार भारत में सैनिकों को की जा सकती है।

(3) उक्त नियमावली में वि०म० बन्ध-पत्र ख-1 के पश्चात् निम्नलिखित नये वि०म० बन्ध-पत्र ख-1 और वि०म० बन्ध-पत्र ख-2 एवं पी०डी०बी० प्रवृत्त हैं।

(4) उक्त नियमावली में वि०म० ख-11 के बाद वि०म० ख-12 बढ़ा दिया गया है।

(vi) मदिरा की सम्पूर्ण मात्रा का परिवहन एक कनसाइनमेन्ट में किया जायेगा और ट्रांजिट में ब्रेक नहीं किया जायेगा तथा कनसाइनमेन्ट का संचालन ई-ट्रांजिट पास में विनिर्दिष्ट मार्ग से विचलित नहीं किया जायेगा, जिसके व्यतिक्रम से सरकार द्वारा यथानिर्धारित शास्ति, डिस्टिलरी के लाइसेंसधारी पर अधिरोपित किया जायेगा।

(vii) यदि कोई डिस्टिलरी एक ही विधिमाम्य पास पर एक से अधिक बार कनसाइनमेन्ट ट्रांजिट करने हेतु ई-ट्रांजिट का कपट एवं क्षदमपूर्ण हुई पायी जाती है तो डिस्टिलरी का प्रभारी अधिकारी और डिस्टिलरी दण्ड के भागी होंगे।

(21)— भारत निर्मित विदेशी मदिरा को बोटल में भरने के कर देय गोदाम से निकासी अनुज्ञापी द्वारा निम्न प्रकार से की जा सकती है:-

(1) विदेशी मदिरा के निर्यात तथा परिवहन को नियंत्रित करने वाले नियमों में की गई व्यवस्था के अनुसार विदेशी मदिरा की अनुबन्ध के अन्तर्गत निकासी व्यक्तियों तथा स्थानों को की जा सकती है।

(2) उपशुल्क का भुगतान करने पर विदेशी मदिरा की निकासी—

(1) उस भू-गृहादि को, जिसके सम्बन्ध में अनुज्ञापी ने विदेशी मदिरा के विक्रय के लिये थोक बिक्री का अनुज्ञा पत्र ले रखा हो।

(2) निम्न दर पर उप शुल्क भुगतान करने पर निर्यात तथा परिवहन के नियमों में की गई व्यवस्था के अनुसार भारत में सैनिकों को की जा सकती है।

(3) उक्त नियमावली में वि०म० बन्ध-पत्र ख-1 के पश्चात् निम्नलिखित नये वि०म० बन्ध-पत्र ख-1 और वि०म० बन्ध-पत्र ख-2 एवं पी०डी०बी० प्रवृत्त हैं।

(4) उक्त नियमावली में वि०म० ख-11 के बाद वि०म० ख-12 बढ़ा दिया गया है।

प्रपत्र एफ०एल०-3 का संशोधन

7- उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान प्रपत्र वि०म०-3 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया प्रपत्र रख दिया जायेगा, अर्थात:-

प्रपत्र वि० म० 3 (नियम-2 देखें)	
स्तम्भ-1 विद्यमान प्रपत्र	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र वि०म०-3
<p>भारत निर्मित समुद्र पार स्पिट/वाइन/बियर का बाण्डों के अन्तर्गत उपशुल्क का भुगतान किये बिना उपशुल्क का भुगतान करने के पश्चात बोटलों में भराई के लिये लाइसेंस</p> <p>रजिस्टर संख्या-.....</p> <p>लाइसेंसधारी का नाम</p> <p>परिक्षेत्र</p>	<p>भारत निर्मित समुद्र पार स्पिट/वाइन/बियर का बाण्डों के अन्तर्गत उपशुल्क का भुगतान किये बिना उपशुल्क का भुगतान करने के पश्चात बोटलों में भराई के लिये लाइसेंस</p> <p>रजिस्टर संख्या-.....</p> <p>लाइसेंसधारी का नाम</p> <p>परिक्षेत्र</p>

श्री को
जिले में से तक
की अवधि के लिये।

भारत निर्मित स्प्रिट/वाइन/बियर का समुद्रपार बाण्ड के अन्तर्गत उप शुल्क का भुगतान किये बिना उप शुल्क का भुगतान करने के पश्चात नीचे विनिर्दिष्ट परिसर में, बोतल में भराई करने का लाइसेंस जिसके लिये 1,00,000/- (एक लाख) रुपये की प्रतिभूति का अग्रिम भुगतान कर दिया गया है, विदेशी मदिरा को बोतलों में भरने से सम्बन्धित नियमों के प्राविधानों के, जिनमें से किसी के व्यतिक्रमण पर या संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 अथवा स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन किसी अपराध के लिये दोष सिद्धि पर उपयुक्त विधियों के अधीन आरोपित किसी शास्ति के अतिरिक्त लाइसेंस धारी का लाइसेंस और जमा प्रतिभूति समपहूरणीय होंगे, अधीन दिया जाता है।

लाइसेंस प्राप्त-परिसर का विवरण

- (1) एफ0एल0-3 अनुज्ञापन के अन्तर्गत बोतल भराई कक्ष से विदेशी मदिरा की बोतल की उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु निकासी तब तक नहीं की जायेगी, जब तक कि उन पर आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित सिक्वोरिटी होलोग्राम न लगाया गया हो।
- (2) अनुज्ञापी उत्तर प्रदेश में आपूर्ति की जाने वाली भारत निर्मित विदेशी मदिरा के लिए बोतलों के लेबिलों पर आबकारी आयुक्त द्वारा समय समय पर अनुमोदित अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य मुद्रित करेगा।

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

नवीनीकरण सम्बन्धी पृष्ठांकन

यह लाइसेंस, एतद्वारा एतदपूर्व कथित शर्तों पर निम्नलिखित अवधि के लिए नवीनीकृत किया जाता है।

अवधि

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

(जो लागू न हो उसे काट दीजिये।)

श्री को
जिले में से तक
की अवधि के लिये।

भारत निर्मित स्प्रिट/वाइन/बियर का समुद्रपार बाण्ड के अन्तर्गत उप शुल्क का भुगतान किये बिना उप शुल्क का भुगतान करने के पश्चात नीचे विनिर्दिष्ट परिसर में, बोतल में भराई करने का लाइसेंस जिसके लिये 1,00,000/- (एक लाख) रुपये की प्रतिभूति का अग्रिम भुगतान कर दिया गया है, विदेशी मदिरा को बोतलों में भरने से सम्बन्धित नियमों के प्राविधानों के, जिनमें से किसी के व्यतिक्रमण पर या संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 अथवा स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन किसी अपराध के लिये दोष सिद्धि पर उपयुक्त विधियों के अधीन आरोपित किसी शास्ति के अतिरिक्त लाइसेंस धारी का लाइसेंस और जमा प्रतिभूति समपहूरणीय होंगे, अधीन दिया जाता है।

लाइसेंस प्राप्त-परिसर का विवरण
(अक्षांश/देशान्तर सहित जिओटैगिंग)

- (1) बोतल भराई कक्ष से विदेशी मदिरा की बोतल की उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु निकासी तब तक नहीं दी जायेगी, जब तक कि उन पर बिक्री हेतु आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड लगाया न गया हो।
- (2) लाइसेंसधारी उत्तर प्रदेश में आपूर्ति की जाने वाली भारत निर्मित विदेशी मदिरा के लिए बोतलों के लेबिलों पर आबकारी आयुक्त द्वारा समय समय पर अनुमोदित अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य इस प्रकार मुद्रित करेगा जो सरलता से दृश्य हो।
- (3) लाइसेंसधारी पेट/कॉच की बोतलों पर उभरे हुए अक्षरों (embossed) में "यू पी 0 एक्साइज" एवं धारिता अंकन करने हेतु प्रबन्ध करेगा।

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

नवीकरण सम्बन्धी पृष्ठांकन

यह लाइसेंस, एतद्वारा एतदपूर्व कथित शर्तों पर निम्नलिखित अवधि के लिए नवीकृत किया जाता है।

अवधि

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

(जो लागू न हो उसे काट दीजिये।)

प्रपत्र एफ0एल0-3क का संशोधन

8- उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान प्रपत्र वि0म0-3 क के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया प्रपत्र रख दिया जायेगा, अर्थात:-

<p>विद्यमान प्रपत्र प्रपत्र एफ0एल0-3(क) (नियम-2(1)(ग) देखें)</p>	<p>एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र प्रपत्र एफ0एल0-3(क) (नियम-2(1)(ग) देखें)</p>
--	---

विदेशी मदिरा को बोतल में भरने हेतु लाइसेंस रजिस्टर संख्या—.....
लाइसेंसधारी का नाम
परिक्षेत्र
श्री को
(स्थान) पर जिला में से
..... तक की अवधि के लिये भारत निर्मित /आयातित स्पिट अर्थात् व्हिस्की, ब्राण्डी, जिन और रम की बोतलों में भरने के लिए बाण्ड के अन्तर्गत शुल्क जमा किये बिना / शुल्क का भुगतान कर देने पर नीचे विनिर्दिष्ट परिसर में, लाइसेंस जिसके लिए 1,00,000/- (एक लाख)रुपये की प्रतिभूति का अग्रिम भुगतान कर दिया गया है, विदेशी मदिरा को बोतलों में भरने से सम्बन्धित नियमों के प्राविधानों के, जिनमें से किसी के व्यतिक्रमण पर या संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 अथवा स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन किसी अपराध के लिये दोष सिद्धि पर उपयुक्त विधियों के अधीन आरोपित किसी शास्ति के अतिरिक्त लाइसेंसधारी का लाइसेंस और जमा प्रतिभूति समपहूरणीय होंगे, अधीन दिया जाता है।

लाइसेंस प्राप्त-परिसर का विवरण

शर्तें

- 1- लाइसेंसधारी सम्बन्धित आसवनी से बोतल में भरने के विशेषाधिकार को पट्टे पर प्राप्त करेगा।
- 2- लाइसेंसधारी बोतलों में भरने हेतु भारत निर्मित स्पिट जैसी और जब आवश्यकता हो, केवल बल्क में प्रचलित दर पर शुल्क का भुगतान करके उसे आसवक से प्राप्त करेगा, जिसने उसे बोतल में भरने के अपने विशेषाधिकार को पट्टे पर दिया हो या समनुदेशित किया हो।
- 3-लाइसेंसधारी इस प्रकार पट्टे पर दी गयी या समनुदेशित वार्षिक मात्रा से अधिक भारत निर्मित विदेशी मदिरा को बोतलों में भरने का हकदार नहीं होगा। इस हेतु पट्टा दाता आसवनी अनुबन्ध के अनुसार अपनी अधिष्ठापित पेय क्षमता में से उक्त मात्रा कम कर देगी।
- 4- लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त अपने द्वारा भरी गयी बोतलों के लेबिलों पर अपना ब्राण्ड नाम अंकित करने का हकदार होगा।
- 5- जबतक राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा इस अनुज्ञा-पत्र के अलावा अलग से विशेष रूप से अनुज्ञा न दे दी जाय, दोनो पक्ष के लिए बोतल भराई के परिसर में स्पिट का रंगना, सम्मिश्रण करना (ब्लेण्डिंग), सुवासित करना फ्लेवरिंग और तीव्रतावरोह करना (रिडक्शन) निषिद्ध रहेगा।
- 6- लाइसेंसधारी उत्तर प्रदेश में विदेशी मदिरा की बिक्री हेतु एफ0एल0-1ए लाइसेंस प्राप्त करेगा।
- 7- लाइसेंसधारी बोतल भराई फीस नियमों के अधीन निहित दर पर और निर्धारित रीति से जमा करेगा।

भारत निर्मित विदेशी मदिरा को बोतल में भरने हेतु लाइसेंस रजिस्टर संख्या—.....
लाइसेंसधारी का नाम
परिक्षेत्र
श्री को
(स्थान) पर जिला में से
..... तक की अवधि के लिये भारत निर्मित /आयातित स्पिट अर्थात् व्हिस्की, ब्राण्डी, जिन और रम की बोतलों में भरने के लिए बाण्ड के अन्तर्गत शुल्क जमा किये बिना / शुल्क का भुगतान कर देने पर नीचे विनिर्दिष्ट परिसर में, लाइसेंस जिसके लिए 1,00,000/- (एक लाख)रुपये की प्रतिभूति का अग्रिम भुगतान कर दिया गया है, विदेशी मदिरा को बोतलों में भरने से सम्बन्धित नियमों के प्राविधानों के, जिनमें से किसी के व्यतिक्रमण पर या संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 अथवा स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन किसी अपराध के लिये दोष सिद्धि पर उपयुक्त विधियों के अधीन आरोपित किसी शास्ति के अतिरिक्त लाइसेंसधारी का लाइसेंस और जमा प्रतिभूति समपहूरणीय होंगे, अधीन दिया जाता है।

लाइसेंस प्राप्त-परिसर का विवरण

(अक्षांश/देशान्तर दर्शित करते हुए जिओटैगिंग)

शर्तें

- 1- भारत निर्मित विदेशी मदिरा की बाटलिंग से पूर्व लाइसेंसधारी सम्बन्धित आसवनी से बोतल में भरने के विशेषाधिकार को पट्टे पर प्राप्त करेगा।
- 2- लाइसेंसधारी बोतलों में भरने हेतु भारत निर्मित स्पिट जैसी और जब आवश्यकता हो, केवल बल्क में प्रचलित दर पर शुल्क का भुगतान करके उसे आसवक से प्राप्त करेगा, जिसने उसे बोतल में भरने के अपने विशेषाधिकार को पट्टे पर दिया हो या समनुदेशित किया हो।
- 3- लाइसेंसधारी इस प्रकार पट्टे पर दी गयी या समनुदेशित वार्षिक मात्रा से अधिक भारत निर्मित विदेशी मदिरा को बोतलों में भरने का हकदार नहीं होगा। इस हेतु पट्टा दाता आसवनी अनुबन्ध के अनुसार अपनी अधिष्ठापित पेय क्षमता में से उक्त मात्रा कम कर देगी।
- 4- लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त अपने द्वारा भरी गयी बोतलों के लेबिलों पर अपना ब्राण्ड नाम अंकित करने का हकदार होगा।
- 5- जबतक राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा इस अनुज्ञा-पत्र के अलावा अलग से विशेष रूप से अनुज्ञा न दे दी जाय, दोनो पक्ष के लिए बोतल भराई के परिसर में स्पिट का रंगना, सम्मिश्रण करना (ब्लेण्डिंग), सुवासित करना फ्लेवरिंग और तीव्रतावरोह करना (रिडक्शन) निषिद्ध रहेगा।
- 6- लाइसेंसधारी उत्तर प्रदेश में विदेशी मदिरा की बिक्री हेतु एफ0एल0-1ए लाइसेंस प्राप्त करेगा।
- 7- लाइसेंसधारी बोतल भराई फीस नियमों के अधीन निहित दर पर और निर्धारित रीति से जमा करेगा।

<p>8- लाइसेंसधारी विदेशी मदिरा से सम्बन्धित नियमों और विनियमों और विदेशी मदिरा के निर्गम, आयात, परिवहन और निर्यात से सम्बन्धित नियमों का जैसा कि संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 और तदधीन बनाये गये नियमों में दिये गये हैं, कठोरता से पालन करेगा।</p> <p>9- लाइसेंसधारी अपने उत्पादों की बोतलों में भराई के पश्चात उसका स्टॉक अलग से रखा जायेगा।</p> <p>10- विभाग द्वारा मांगी जाने वाली समस्त तकनीकी सूचनाओं को समयानुसार उपलब्ध करायेंगे।</p> <p>11- लाइसेंसधारी द्वारा बोतलों में भरी गयी मदिरा उत्तर प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के बाहर बिक्री हेतु होगी।</p> <p>12-इकाई आयुक्तलय के सक्षम अधिकारी से प्रस्तावित एफ0एल0-3ए परिसर का प्राविधिक परीक्षण करायेगी, परीक्षण संतोषजनक पाये जाने की स्थिति में ही इकाई बोतल भराई कार्य प्रारम्भ करेगी।</p> <p style="text-align: right;">आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश।</p> <p style="text-align: center;">नवीनीकरण सम्बन्धी पृष्ठांकन</p> <p>यह लाइसेंस, एतद्वारा एतदपूर्व कथित शर्तों पर निम्नलिखित अवधि के लिए नवीनीकृत किया जाता है। अवधि</p> <p style="text-align: right;">आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश।</p>	<p>8- लाइसेंसधारी विदेशी मदिरा से सम्बन्धित नियमों और विनियमों और विदेशी मदिरा के निर्गम, आयात, परिवहन और निर्यात से सम्बन्धित नियमों का जैसा कि संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 और तदधीन बनाये गये नियमों में दिये गये हैं, कठोरता से पालन करेगा।</p> <p>9- लाइसेंसधारी अपने उत्पादों की बोतलों में भराई के पश्चात उसका स्टॉक अलग से रखा जायेगा।</p> <p>10- लाइसेंसधारी द्वारा समस्त तकनीकी सूचनाएं विभाग को समयानुसार उपलब्ध करायी जायेंगी।</p> <p>11- लाइसेंसधारी द्वारा बोतलों में भरी गयी मदिरा, उत्तर प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के बाहर बेची जा सकती है।</p> <p>12- आबकारी आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी द्वारा एफ0एल0-3क परिसर का प्राविधिक निरीक्षण किया जायेगा और संतोषजनक रिपोर्ट पाये जाने के पश्चात बोतल भराई कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।</p> <p style="text-align: right;">आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश।</p> <p style="text-align: center;">नवीकरण सम्बन्धी पृष्ठांकन</p> <p>यह लाइसेंस, एतद्वारा एतदपूर्व कथित शर्तों पर निम्नलिखित अवधि के लिए नवीकृत किया जाता है। अवधि</p> <p style="text-align: right;">आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश।</p>
---	--

(धीरज साहू)
आबकारी आयुक्त
उत्तर प्रदेश।